

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—चैत्र 12, शक 1938

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर  
पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2016

क्र. 5-49-2016-1-55.—राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री(एम.डी तथा एम.एस.) पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.डी.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश शासकीय /स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2016 है ।

- (ख) ये नियम शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए प्रवृत्त रहेंगे।
2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।
- (क) AIPGMEE से अभिप्रेत है ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्यूएट मेडिकल एन्ट्रेंस एक्जामिनेशन, 2016
- (ख) AIPGDEE से अभिप्रेत है ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्यूएट डेंटल एन्ट्रेंस एक्जामिनेशन, 2016
- (ग) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय।
- (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्यूएट मेडिकल एन्ट्रेंस एक्जामिनेशन, 2016 (AIPGMEE-2016)/ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्यूएट डेंटल एन्ट्रेंस एक्जामिनेशन, 2016 (AIPGDEE-2016)
- (ङ) "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिनकी सूची आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश द्वारा जारी की जाये।
- (च) प्रदर्शक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय स्वशासी संस्था में कार्यरत प्रदर्शक।
- (छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग।
- (ज) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है म.प्र.शासन के नगर निगम क्षेत्र तथा नगर-पालिका/परिषद क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र।
- (झ) "अधिसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है म0प्र0 राज्य में अधिसूचित आदिवासी उपयोजना के विकास खण्डों में स्थित कोई भी क्षेत्र।
- (ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां।
- (ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां।

- (ठ) "श्रेणी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी ।
- (ड) "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है विकलांग (पी.एच.) (जैसा कि भारत शासन श्रम मंत्रालय द्वार विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित है) एवं महिलाएं ।
- (ढ.) "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको नेशनल बोर्ड ऑफ एकजामिनेशन द्वारा आयोजित AIPGMEE, 2016 एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स द्वारा आयोजित AIPGDEE-2016 की प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची के आधार पर सीट आवंटित की गई है ।
- (ण) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन ।
- (त) "जनजाति क्षेत्र" से अभिप्रेत है जनजाति उप योजना के अधीन क्षेत्र ।
- (थ) "एम.सी.आई." से अभिप्रेत है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ।
- (द) "डी.सी.आई." से अभिप्रेत है डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया ।

### 3. सामान्य—

- (1) स्नातकोत्तर उपाधि एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एम.सी.आई./डी.सी.आई./विश्वविद्यालय/राज्य शासन/भारत सरकार/महाविद्यालय की स्वशासी संस्था की यथास्थिति, प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश के दौरान समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगी ।
- (2) प्रवेश की तारीख से, उपाधि की दशा में, तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम एवं पत्रोपाधि की दशा में, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम दो वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
- (3) जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए। सभी पात्र उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये एमपी आनलाईन में आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा । काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपना एमपी आनलाईन में आनलाईन रजिस्ट्रेशन कराया है । स्कूटनी फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में प्रार्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
- (4) अभ्यर्थी द्वारा AIPGMEE-2016 /AIPGDEE-2016 को प्रेषित किये गये ऑनलाईन पंजीयन अर्थात् आवेदन-पत्र के साथ जो फोटो संलग्न किये है वहीं फोटो की 30 प्रतियां काउंसिलिंग एवं आवंटित संस्था में प्रवेश के समय लेकर उपस्थित होंगे । उन्हीं फोटोग्राफ का उपयोग स्कूटनी, प्रवेश एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर चिकित्सा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में किया जाएगा ।

(5)

फोटो हेतु स्पेसिफिकेशन – (नेशनल बोर्ड ऑफ एकजामिनेशन, नई दिल्ली वर्ष 2016 के प्रॉस्पेक्टस के अनुसार) –

- अभ्यर्थी के फोटो का न्यूनतम आकार 35 X 45 मिलीमीटर हो, जिसमें चेहरा और सिर का लगभग 75 प्रतिशत भाग दिखाई दे ।
  - फोटोग्राफ पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटोग्राफ लेने का दिनांक फोटो के नीचे अंकित होना अनिवार्य होगा ।
  - फोटोग्राफ का बैकग्राउण्ड सफेद अथवा हल्के रंग में होना चाहिये ।
  - फोटोग्राफ में सामने का पूरा चेहरा स्पष्ट होना चाहिये तथा अभ्यर्थी को कैमरे की तरफ देखते हुए सामान्य भाव रखना चाहिये ।
  - फोटोग्राफ में छांव या रिफ्लेक्शन या लाल आंख नहीं होनी चाहिये ।
  - फोटोग्राफ उच्च श्रेणी के कागज जिसमें कम से कम 600 डीपीआई रिसोल्यूशन होना चाहिये ।
  - फोटोग्राफ प्राकृतिक स्वरूप में होना चाहिये तथा स्किन प्राकृतिक कलर में होना चाहिये ।
  - फोटोग्राफ पर तोडमोड या स्केच या अन्य निशान नहीं होना चाहिये ।
- (6) अभ्यर्थी द्वारा स्कूटनी के समय मांगी गई जानकारी सही-सही दी जाये । प्रवेश परीक्षा, स्कूटनी एवं प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थी अपने संपूर्ण हस्ताक्षर करेंगे तथा सभी स्थानों पर एक समान हस्ताक्षर करेंगे । हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आवंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा ।
- (7) यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने प्रवेश परीक्षा फार्म में/स्कूटनी के समय/ प्रवेश के समय/प्रवेश के बाद किसी भी समय, अभिलेखों की छानबीन के समय कोई सुसंगत तथ्य छिपाए हैं और/या गलत जानकारी दी है तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय के डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जायेगा एवं एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई जा सकेगी ।

- (8) अभ्यर्थी द्वारा AIPGMEE-2016 /AIPGDEE-2016 की एमपी स्टेट की रिजल्ट/स्कोर शीट स्कूटनी एवं एडमिशन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिससे अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का सत्यापन किया जा सके । साथ ही मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (डोमेसाईल) प्रस्तुत करना होगा ।

4. (1) प्रवेशित छात्र निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे (इसमें सेवारत अभ्यर्थी/प्रदर्शक भी सम्मिलित है) :-
- (क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी)
- (ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,

- (ग) डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण शिक्षण अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के साथ केवल 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा प्रमाणपत्र, अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5/123/2013/1/55 भोपाल दिनांक 03.06.2013 के आदेशानुसार। (परिशिष्ट- 01) एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/1/2010/नि0/4 दिनांक 07/06/2010 (परिशिष्ट-1 ए)।
- (2) मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 147/4572 /03/पचपन/चिशि-1, दिनांक 14.01.04 के अनुसार पूर्व अनुमति से, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश लेने की पात्रता होगी। बीमारी का प्रमाणपत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। यह अवकाश प्रतिवर्ष लिया जा सकेगा तथापि इसे किसी भी परिस्थिति में अन्य वर्षों के साथ संचय नहीं किया जा सकेगा। अवकाश पर जाने की सूचना संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधिष्ठाता कार्यालय को देना होगी।
5. दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना सम्मिलित है। अनाधिकृत रूप से एवं बगैर सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। इस अनुपस्थिति अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा एवं ऐसे डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित निष्कासित अभ्यर्थी, उनके निष्कासन की तिथि से क्रमशः आगामी तीन वर्ष के लिये एवं आगामी दो वर्ष के लिये राज्य की पी.जी. सीट्स पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे तथा उन्हें आर्थिक दण्ड स्वरूप रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) संबंधित महाविद्यालय की स्वशासी समिति को जमा कराने होंगे अन्यथा भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जावेगी। तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापिस किये जावेंगे।
6. भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सीटों का विषयवार, पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार समस्त स्नातकोत्तर उपाधि एवं पत्रोपाधि स्थानों (सीटों) की जानकारी काउंसलिंग के समय उपलब्ध कराई जाएगी।
7. **आरक्षण:-**
- (1) चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत शासकीय स्वशासी संस्थाओं के प्रदर्शकों को 06 सीटें आरक्षित की गई है, जिनकी जानकारी काउंसलिंग के समय उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत स्थान एवं मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए ( शासन के तत्समय प्रचलित निर्धारित नियमानुसार क्रीमिलेयर को छोड़कर) 14

- प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे या समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार आरक्षित रहेगे ।
- (3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक श्रेणी में योग्यता (मेरिट)-सह-विकल्प के अनुसार श्रेणीवार कुल सीटों का 30 प्रतिशत होगा ।
- (4) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हो उन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी से विहित प्रपत्र में स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रमाण पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील होना आवश्यक है, अन्यथा प्रमाणपत्र मान्य नहीं किया जावेगा । स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा ।
- (5) ऐसे विकलांग (दिव्यांग) व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के हैं, के लिए तीन प्रतिशत स्थान (3%) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु श्रेणीवार आरक्षित हैं ।  
एम.सी.आई. के निर्देशानुसार क्रमांक सं.भा.आ.प.-34 (41) 2008-मेडि/54469 दिनांक 25 मार्च, 2009  
के अनुसार ऐसी सीटें पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत (PH-1) के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जाएगी । 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत (PH-2) से कम तक के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जाएंगे ।
- (6) उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटों) संबंधित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से ही भरी जायेंगी ।  
इन स्थानों (सीट) पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडीकल बोर्ड से वैद्य प्रमाणपत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाणपत्र, दोनो ही अनिवार्यतः, प्रस्तुत करना होगा। अभिलेख सत्यापन (स्कूटनी) के समय दोनो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवंटित सीट पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। पात्रता प्रमाण-पत्र की तिथि काउंसलिंग के प्रथम चरण प्रारंभ होने की तिथि से तीन माह से ज्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए । आनलाईन रजिस्ट्रेशन के पश्चात् निचले अंगों की गतिक विकलांगता के प्रतिशत 50 से 70 विकलांगता (पी.एच.1) तथा 40 से 50 प्रतिशत से कम विकलांगता (पी.एच.2) के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रावधिक आवंटन (प्रोविजनल) जारी होगा । स्कूटनी के पश्चात् ही उपरोक्त प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण होगा । अपात्र पाये जानेवाले अभ्यर्थियों का प्रावधिक आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं इस तरह रिक्त हुई सीट को अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा ।

- (7) एम.सी.आई. द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को विकलांग प्रवर्ग में पात्रता नहीं होगी :-
- (अ) हाथ/हाथों से विकलांग  
 (ब) दृष्टि से विकलांग  
 (स) बहरापन  
 (द) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता।
- (8) यदि आरक्षण के पात्र अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त स्थान अन्य श्रेणी को निम्नानुसार उपलब्ध कराकर भरा जायेगा :-
- (क) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के रिक्त स्थान पात्र अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।  
 (ख) अनुसूचित जाति श्रेणी के रिक्त स्थान पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।  
 (ग) आरक्षण के विस्तार तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।  
 (घ) उपरोक्त रीति में इन तीन आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त स्थानों को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
- (9) स्नातकोत्तर उपाधि तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में ऐसे सेवारत चिकित्सा अधिकारी जो मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग में सेवारत हों, (प्रदर्शकों के अलावा) के चयन के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसलिंग के समय उपलब्ध कराई जायेगी।

8.

चयन मापदंड (सेवारत अभ्यर्थी):-

सेवारत अभ्यर्थियों के लिए उपाधि तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु चयन प्रक्रिया एवं शर्तें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित नीति अनुसार निम्नानुसार होंगी :-

(ए) चिकित्सा अधिकारी :-

- (क) केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 30 अप्रैल, 2016 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में, जो मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा अन्य किसी विभाग अथवा राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत नियमित अथवा संविदा सेवा में कार्यरत हों एवं जिसने 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- (ख) नियमित एवं संविदा पर कार्यरत सेवारत अभ्यर्थियों को पी0जी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त डिग्री हेतु 05 वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 03 वर्ष की सेवा विभाग/सोसायटी द्वारा विहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में देने हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रोफार्मा-6) पर बाण्ड का निष्पादन करना होगा जो पी0जी0 डिग्री हेतु

रूपये 30.00 लाख ( तीस लाख) तथा पी0जी0डिप्लोमा हेतु रूपये 20.00 लाख (बीस लाख) होगा। बाण्ड का निष्पादन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय के पक्ष में करना होगा।

- (ग) राज्य शासन के विभागों द्वारा स्पांसर किये गये नियमित सेवारत अभ्यर्थियों को स्पांसरकर्ता मूल विभाग द्वारा वेतन प्रदाय किया जाएगा। संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को वेतन प्रदायगी की पात्रता नहीं होगी।। यह स्पांसरशिप पाठ्यक्रम फीस एवं किसी अन्य लाभ के लिये देय नहीं होगी, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगा। संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को पीजी कोर्स के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्टायपेंड देय होगा।
- (घ) तीन वर्ष की अर्हताकारी सेवा हेतु उस कालावधि की गणना उस स्थिति में नहीं की जावे, जब अथ्यर्थी उस कार्यकाल के दौरान अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है/ कोई डाईजनॉन अवधि हुई/कोई अवैतनिक छुट्टी पर रहा है।
- (ङ) सेवारत पुरुष अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल, को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- (बी) प्रदर्शक :-
- (क) जिन प्रदर्शकों ने 30 अप्रैल, 2016 को 5 वर्ष लगातार नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, केवल वे ही प्रदर्शक 06 सीटों पर प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
- (ख) पी0जी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत पांच वर्ष की सेवा चिकित्सा शिक्षा विभाग में देने हेतु रूपये 30.00 लाख (रूपये तीस लाख) का बाण्ड निष्पादन करना होगा।
- (ग) पदस्थापना का पद व स्थान का निर्णय चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन होगा। पदस्थापना एवं पदोन्नति के संबंध में समस्त अधिकार म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होंगे। अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार पदस्थापना/पदोन्नति करवाने हेतु आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं होगा एवं कोर्स पूर्ण होने के पश्चात् प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदस्थ किया जा सकेगा। प्रदर्शकों को उक्त आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र काउंसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से (परिशिष्ट-2) अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
- (घ) प्रदर्शकों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा पुरुष अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।



9. परीक्षा एवं योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) :-

- (1) स्नातकोत्तर, एम.डी./एम.एस. एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एकजामिनेशन, नई दिल्ली एवं स्नातकोत्तर, एम.डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एम्स, नई दिल्ली द्वारा घोषित परीक्षा AIPGMEE/AIPGDEE-2016 के परिणाम पर आधारित प्रावीण्य सूची मान्य की जावेगी ।
- (2) सेवारत अभ्यर्थी/प्रदर्शक भी ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एकजामिनेशन-2016 (AIPGMEE-2016) प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित किये जाएंगे । सेवारत अभ्यर्थियों/प्रदर्शकों को पी0जी0 सीट पर प्रवेश हेतु ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एकजामिनेशन, 2016 प्रवेश परीक्षा के नियमों में विहित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने होंगे । सफल सेवारत अभ्यर्थियों एवं प्रदर्शकों की पृथक-पृथक पात्रता एवं मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ।
- (3) चिकित्सा अधिकारी

समस्त पात्र सेवारत अभ्यर्थी (चिकित्सा अधिकारी) अपने आवेदन परीक्षा परिणाम सहित आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तुत करेंगे । आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सभी विभागों के चिकित्सा अधिकारियों की एकजाई सूची तैयार की जावेगी । आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें तैयार सूची में निम्नांकित गणना के आधार पर अतिरिक्त अंक जोड़कर उन्हें योग्यता सूची में शामिल कर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर सीट आवंटन/प्रवेश हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा को सौंपेंगे ।

सेवारत अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता (इण्टर-से-मेरिट) ग्रामीण / अधिसूचित / उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्रों में उनकी की गई सेवा के लिए अधिमान के अंक जोड़कर निश्चित की जायेगी । ग्रामीण / अधिसूचित / उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्रों में सेवारत अभ्यर्थी को अधिकतम 200 अंक प्राप्त होंगे । अंको का आवंटन निम्नानुसार किया जायेगा :-

- (क) यदि ऐसी सेवा ग्रामीण क्षेत्र/नगर पंचायत अथवा नगर पालिका (नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गठित) क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई है, तो 01 वर्ष के लिए 20 अंक अधिकतम 100 अंक 05 वर्ष हेतु दिये जायेगें ।
- (ख) यदि ऐसी सेवा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अथवा शासन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित जिले- झाबुआ, अलीराजपुर, पन्ना, मण्डला, डिण्डोरी, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया एवं शहडोल के जिला चिकित्सालय/सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई है तो अथ्यार्थी को 20 अतिरिक्त अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 100 अंक 05 वर्ष हेतु दिये जायेगें ।

- (ग) महिला सेवारत अभ्यर्थियों को आदिवासी उपयोजना/उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्र में की गई सेवा के लिए प्रतिवर्ष की दर से 10 अतिरिक्त अंक अधिकतम 50 अंक 5 वर्ष हेतु प्रदाय किये जायेंगे।
- (घ) इस नियम के प्रयोजन के लिए, उस कालावधि की गणना ग्रामीण/अधिसूचित/ उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्र सेवा के लिए उस स्थिति में नहीं की जावे, जब वह ऐसे क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में पदस्थ अथवा संलग्न रहा हो। अथवा अभ्यर्थी उस कार्यकाल के दौरान अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है/कोई डाईजनों अवधि हुई/कोई अवैतनिक छुट्टी की अवधि पर रहा है।
- (ङ) सेवारत अभ्यर्थियों की अंतिम योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा उपलब्ध कराये गये ग्रामीण/अधिसूचित/ उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्रों में सेवा के लिए प्राप्त किये गये अधिमान के अंको (अधिकतम 200 अंको के बराबर) के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (च) दो या उससे अधिक सेवारत अभ्यर्थियों को बराबर अंक मिलने की दशा में अभ्यर्थी की आयु में वरीयता को अधिमान देते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।
- (छ) सेवारत अभ्यर्थियों की परामर्श (काउंसलिंग) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी।
- (ज) अन्य विभागों के सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के नाम, विभाग की टीप के साथ संबंधित विभाग आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं म0प्र0 को प्रेषित करेंगे। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं आवेदकों के नाम सेवारत अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित कर संचालक चिकित्सा शिक्षा को भेजेंगे।
- (4) **प्रदर्शक :-**  
प्रदर्शक अपने आवेदन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता के माध्यम से संचालक चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे। प्रदर्शकों हेतु सेवा के पृथक से अंक दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। संबंधित अधिष्ठाताओं के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एक्जामिनेशन 2016 में प्राप्तांकों के आधार पर प्रदर्शकों की श्रेणीवार पृथक मेरिट सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा घोषित की जाएगी जिसके आधार पर काउंसलिंग की कार्यवाही की जावेगी।
- (5) **अभिलेख सत्यापन :-**  
सेवारत अभ्यर्थियों/प्रदर्शकों को अपने अभिलेख विहित प्रारूप में स्कूटनी समिति को प्रस्तुत करना होगा। सेवारत अभ्यर्थियों/प्रदर्शकों को अपने विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं नियोक्ता का स्पॉनसरशिप प्रमाण पत्र स्कूटनी के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रदर्शकों को उक्त के अतिरिक्त एक स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र

(परिशिष्ट-2) प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें कोर्स पूर्ण होने के पश्चात् प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थ किया जा सकेगा।

10.

**पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् विभाग में वापसी :-** पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये 24 माह है। पाठ्यक्रम/अध्ययन अवधि पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रास्थिति पर विचार किए बिना पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाएगा। प्रसूति अवकाश की अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा किन्तु इस अवधि के लिये कोई स्टायपेण्ड अथवा वेतन आदि देय नहीं होगा।

11.

**फीस, बंध पत्र आदि :-**

(i)

सेवारत अभ्यर्थियों/प्रदर्शकों को छोड़कर अन्य चयनित अभ्यर्थियों (गैर सेवारत चयनित अभ्यर्थी- आल इण्डिया अथवा स्टेट कोटा से प्रवेशित छात्रों) को, पी.जी. उपाधि (एमडी/एमएस)/(एम डी एस)/ पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् कम से कम एक वर्ष तक राज्य सरकार के अधीन शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में कार्य करने के लिए शासन के अनुदेशों के अनुसार अर्थात् स्नातकोत्तर डिग्री के लिए रूपये 10.00 लाख तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए रूपये 8.00 लाख का बंध पत्र प्रवेश के समय निष्पादित करना होगा। शासकीय स्वशासी दंत/चिकित्सा महाविद्यालय के सभी अधिष्ठाता, ऐसे अभ्यर्थियों की सूची कम से कम 3 माह पूर्व आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करायेंगे जो उनके संस्थान में विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तत्पश्चात् वे पी.जी. परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची भी उपलब्ध कराएंगे। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित होने के 3 माह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। ऐसे चिकित्सकों को राज्य सरकार के अधीन निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं देना होगी।

(ii)

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25/08/2010 के अनुसार जिन स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों का चयन विभाग के अधीन शासकीय स्वशासी दंत/चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक/सीनियर रेसीडेंट/जूनियर रेसीडेंट/प्रदर्शक के पद पर हो जाता है, उन्हें ग्रामीण सेवा के बाण्ड/अधिसूचित क्षेत्र में सेवा के बाण्ड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाए कि वे बाण्ड अवधि के बराबर अवधि तक उक्त महाविद्यालयों में सेवा करेंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्त लागू हो जायेगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

- (iii) अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के पास उसकी सम्पूर्ण बाण्ड अवधि के लिये जमा रहेंगे एवं सिर्फ बाण्ड की शर्तों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरांत ही वापस किये जाएंगे। अगर कोई छात्र बाण्ड से मुक्त होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर द्वारा डब्ल्यू.पी.कमांक 11677/10 एवं अन्य प्रकरणों में पारित निर्णय अनुसार बाण्ड राशि स्वशासी मद में जमा करवाकर बाण्ड से मुक्त हो सकता है। इसके लिये अधिष्ठाता सक्षम होंगे। यदि कोई छात्र उच्च अध्ययन के लिये जाना चाहता है तो ऐसे छात्रों को बंधपत्र में उल्लेखित राशि की बैंक गारन्टी संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा तथा गारन्टी जमा करने पर उसे मूल दस्तावेज वापस किये जा सकेंगे। उच्च अध्ययन की समाप्ति पर छात्र को ग्रामीण सेवा पूर्ण करना आवश्यक होगा। ग्रामीण सेवा पूर्ण करने के पश्चात् ही बैंक गारन्टी वापस की जाएगी, अन्यथा बैंक गारन्टी की राशि राजसात कर ली जाएगी।

## 12. फीस सरंचना :-

प्रत्येक अभ्यर्थी (सेवारत् अभ्यर्थियों/प्रदर्शकों सहित)को नीचे यथावर्णित फीस नियमित रूप से जमा करनी होगी :-

- |    |                            |                |           |
|----|----------------------------|----------------|-----------|
| 1. | शैक्षणिक फीस (डिग्री)      | रूपये 50,000/- | प्रतिवर्ष |
| 2. | शैक्षणिक फीस (डिप्लोमा)    | रूपये 50,000/- | प्रतिवर्ष |
| 3. | छात्रावास फीस              | रूपये 12,000/- | प्रतिवर्ष |
| 4. | छात्र निधि                 | रूपये 1000/-   | प्रतिवर्ष |
| 5. | कॉशनमनी (वापसी योग्य)      | रूपये 3,000/-  |           |
| 6. | सुरक्षा निधि (वापसी योग्य) | रूपये 10,000/- |           |

## 13.

### फीस वापसी-

अखिल भारतीय कोटे व स्टेट कोटे से पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा स्टेट कोटे की अंतिम चरण की काउंसलिंग के अंतिम दिवस शाम 5:00 बजे तक सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा वार्षिक शैक्षणिक शुल्क से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी। उक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा राशि वापसी योग्य नहीं होगी। यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य के बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी।

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पुर्नआवंटन की स्थिति में महाविद्यालय में जमा वार्षिक शैक्षणिक शुल्क में से 10 प्रतिशत शुल्क (अधिकतम रूपये 10,000/-) काटकर शेष राशि छात्र को वापिस कर दी जाएगी।

14.

**प्रतिभूति निक्षेप :-**

- (i) काउंसिलिंग में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को रुपये 10,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश को देय डिमांड ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के रूप में जमा करना होगा। परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता / संरक्षक की आय समस्त स्रोतों को मिलाकर रुपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, कोई प्रतिभूति निक्षेप जमा नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/संरक्षक/स्वयं की आय समस्त स्रोतों को मिलाकर रुपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी केवल रुपये 2,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेंगे।
- (ii) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप की राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी। यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद काउंसिलिंग के अंतिम चरण की प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी कारण से पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर दें और महाविद्यालय छोड़ दे तो प्रतिभूति निक्षेप पर उसका दावा समपहत हो जाएगा।

15.

(1) AIPGMEE- 2016 /AIPGDEE-2016 द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में निर्धारित कुल अंकों में से निम्नानुसार अंक प्राप्त अभ्यर्थी परामर्श (काउंसिलिंग) हेतु पात्र माने जायेंगे :-

|    |                     |             |
|----|---------------------|-------------|
| क) | अनारक्षित-          | 50 प्रतिशत। |
| ख) | आरक्षित-            | 40 प्रतिशत। |
| ग) | विकलांग अनारक्षित - | 45 प्रतिशत। |

- (2) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिये। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक सी 3-7/2013/1/3 भोपाल दिनांक 20 मई 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र कलेक्टर या संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी होने का दिनांक तथा मोहर और जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-1 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी:-

- 2.1 आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।
- 2.2 आवेदक मध्यप्रदेश में विगत कम से कम 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो।
- 2.3 आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अन्तर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय, जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित है, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1.1) अथवा (1.2) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा।
- 2.4 आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं का मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।
- 2.5 आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।
- 2.6 ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हो। इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की जायेगी। इस कण्डिका में परिजन से तात्पर्य है, संबंधित भूतपूर्व सैनिक की पत्नी अथवा पति, या माता अथवा पिता।

#### अथवा

अभ्यर्थी द्वारा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. की समस्त परीक्षाएं मध्यप्रदेश के चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण की हो

#### अथवा

अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं परन्तु उन्होंने एम.बी.बी.एस. /बी.डी.एस.पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश के बाहर की संस्था से जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/अखिल भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो, से उत्तीर्ण की है।

#### अथवा

मध्यप्रदेश शासन के विभाग द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारी (सेवारत चिकित्सा अधिकारी) ।

#### अथवा

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत प्रदर्शक ।

- (3) सभी पी0जी0 प्रवेशित मेडिकल छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद/म0प्र0 डेंटल काउंसिल से पंजीकृत कराना आवश्यक है अन्यथा प्रवेश निरस्त की कार्यवाही की जाएगी ।
- (4) पी0जी0 सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद/दंत चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

- (5) पात्र अभ्यर्थी को एम.सी.आई./डी.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दिनांक 31 मार्च 2016 को या उसके पूर्व अनिवार्य इंटरशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।
- (6) कोई भी अभ्यर्थी जिसमें सेवारत अभ्यर्थी/प्रदर्शक भी सम्मिलित है, के द्वारा आल इण्डिया कोटा अथवा स्टेट कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेशित स्नातकोत्तर (पी0जी0 डिग्री) पाठ्यक्रम छोड़ने की स्थिति में पाठ्यक्रम छोड़ने की दिनांक से एवं निष्कासन की स्थिति में निष्कासन के दिनांक से आगामी तीन वर्ष के लिये एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम छोड़ने की स्थिति में पाठ्यक्रम छोड़ने के दिनांक से एवं निष्कासन की स्थिति में निष्कासन के दिनांक से आगामी दो वर्ष के लिये, राज्य में पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा ।
- (7) इसके अतिरिक्त वे अभ्यर्थी जिन्होंने पीजी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, उन्हें उनके द्वारा पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने की दिनांक से क्रमशः आगामी तीन/दो वर्ष तक राज्य में पी0जी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
- (8) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनके अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा AIPGMEE-2016 /AIPGDEE-2016 की ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर मध्यप्रदेश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय कोटे में प्रवेश दिया गया है तथा उनका चयन, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा AIPGMEE-2016 /AIPGDEE-2016 की मध्यप्रदेश स्टेट की मेरिट में भी हुआ है, वे मध्यप्रदेश कोटे के लिये भी आयोजित परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने के लिये पात्र होंगे । तथापि वह यदि ऐसे परामर्श (काउंसलिंग) में स्टेट कोटे में स्थान (सीट) का चयन करता है तो उसे अखिल भारतीय कोटा का स्थान (सीट) छोड़ देना होगा ।
- (9) अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य होगा एवं सभी आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे । ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने अन्य किसी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पूर्व में प्रवेश लिया है उन्हें स्कूटनी के समय उस महाविद्यालय के अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह अंकित होना चाहिये कि उनके कौन-कौन से मूल दस्तावेज जमा है, यह प्रमाण-पत्र तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटन के पश्चात प्रवेश हेतु दी गई आवंटन पत्र में अंकित निर्धारित समय सीमा में प्रवेश के समय महाविद्यालय में अपने समस्त मूल दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा तथा उसकी सीट को रिक्त मानते हुए यह सीट आगामी चरण की काउंसलिंग में प्रदर्शित की जाएगी तथा अभ्यर्थी जिन्हें यह सीट आवंटित हुई थी वह आगे के चरणों की काउंसलिंग एवं लेफ्ट आउट सीट्स के सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये अपात्र घोषित किया जाएगा ।

नोट:-

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 5-15/03/55/चिशि/1, दिनांक 26 दिसम्बर, 2003 के अनुसार शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम

में प्रवेशित बाण्डेड छात्र, जो छात्र ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एक्जामिनेशन, 2016 में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा ।

16.

योग्यता सूची -

(1)

योग्य उम्मीदवारों की योग्यता के लिए प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा **AIPGMEE-2016 / AIPGDEE- 2016** में निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होंगे :-

|    |                   |   |            |
|----|-------------------|---|------------|
| क) | अनारक्षित वर्ग    | : | 50 प्रतिशत |
| ख) | आरक्षित वर्ग      | : | 40 प्रतिशत |
| ग) | अनारक्षित विकलांग | : | 45 प्रतिशत |

- (2) विकलांग अभ्यर्थियों के लिये म0प्र0 राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सुनिश्चित सीटें ही उपलब्ध होंगी ।
- (3) सेवारत अभ्यर्थियों (चिकित्सा अधिकारी) की पृथक योग्यता सूची ऑल इंडिया पोस्टग्रेज्युएट मेडिकल एन्ट्रेस एक्जामिनेशन, 2016 परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अर्हकारी अंकों तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा आवंटित अंकों को जोड़ने के पश्चात् लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बनाई जाएगी । इस अंतिम योग्यता सूची के अनुसार परामर्श (काउंसलिंग) की जाएगी ।
- (4) प्रदर्शकों की पृथक से योग्यता सूची तैयार की जावेगी ।

17. परामर्श (काउंसलिंग) :-

मध्यप्रदेश राज्य की प्री.पी.जी. काउंसलिंग वर्ष 2016 का कार्यक्रम ऑल इंडिया प्री.पी.जी. काउंसलिंग के कार्यक्रम एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार पृथक से घोषित किया जाएगा । काउंसलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

- (1) प्रथम चरण की काउंसलिंग ऑनलाईन की जायेगी तथा द्वितीय चरण की काउंसलिंग एवं लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन की प्रक्रिया ऑफलाईन की जाएगी ।
- (2) काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी पृथक से समय-समय पर संचालनालय की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) एवं एमपी आनलाईन की वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट के सतत संपर्क में रहे।
- (3) अभ्यर्थी को काउंसलिंग के प्रथम चरण से पूर्व घोषित निर्धारित तिथियों में अपना आनलाईन रजिस्ट्रेशन एमपी आनलाईन में करवाना आवश्यक होगा। केवल आनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ही काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होगा।



- (4) रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सिर्फ प्रथम चरण की काउंसलिंग से पूर्व निर्धारित तिथियों में ही उपलब्ध रहेगी। काउंसलिंग के प्रथम चरण के प्रारंभ होने के उपरान्त किसी भी चरण में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दोबारा नहीं की जाएगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन एम.पी. आनलाईन में प्रथम चरण प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित तिथियों में ही अनिवार्य रूप से करवा लें। यदि कोई अभ्यर्थी अपना आनलाईन रजिस्ट्रेशन एमपी आनलाईन में निर्धारित तिथियों में नहीं करवाता है तो वह काउंसलिंग प्रक्रिया के किसी भी चरण में एवं लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन में भाग लेने के लिए अपात्र होगा।
- (5) अभ्यर्थी सीट आवंटन के लिये अपनी पात्रता अनुसार यह विकल्प दे सकेंगे कि वे शासकीय स्वशासी अथवा निजी महाविद्यालयों में से किसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, विकल्प निम्न प्रकार होगा :-
- (अ) शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय  
 (ब) निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय  
 (स) उक्त दोनों विकल्प
- (6) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस रुपये 500/-, पोर्टल फीस रुपये 30/- तथा रुपये 100 पोर्टल फीस च्वाइस लॉकिंग करने हेतु देय होगी। यह राशि अभ्यर्थी द्वारा एमपी ऑनलाईन द्वारा अधिकृत कियोस्क पर नगद जमा कर सकता है अथवा अभ्यर्थी निम्नानुसार भी देय कर सकता है।
- अ. इंटरनेट बैंकिंग  
 ब. ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड  
 स. क्रेडिट कार्ड

**नोट:-** अर्थात् अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के समय रुपये 530/- एवं च्वाइस लॉकिंग के समय रुपये 100/- कुल रुपये 630/- (रुपये छः सौ तीस केवल) जमा करने होंगे। च्वाइस लॉकिंग का शुल्क रु. 100/- जमा करवाना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी द्वारा भरी गई च्वाइस फिलिंग मान्य नहीं होगी।

- (7) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय/निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिये केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।
- (8) रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त अभ्यर्थी अपनी पात्रता अनुसार च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे च्वाइस लॉकिंग के उपरान्त उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। एक बार च्वाइस लॉकिंग के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। प्रिंट आउट स्कूटनी एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (9) ऐसे अभ्यर्थी जो उपलब्ध विषय/महाविद्यालय में कोई च्वाइस नहीं भरना चाहते ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आप्ट फार वेटिंग का ऑप्शन उपलब्ध होगा ।
- (10) आवंटन का परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने प्रावधिक (Provisional) सीट आवंटन के, आवंटन-पत्र के प्रिन्ट आउट अपने पासवर्ड का उपयोग करके ले सकेगा, जो कि उसे एमपी ऑनलाईन में रजिस्ट्रेशन करवाने पर एमपी ऑनलाईन द्वारा दिया जायेगा ।
- (11) अभ्यर्थी जिन्हें ऑनलाईन सीट का आवंटन प्रावधिक (Provisional) हुआ है उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में स्कूटनी कमेटी से अपने मूल अभिलेखों एवं वर्ष 2016 के नियमों में संलग्न परिशिष्ट-01 से 04 एवं प्रपत्र 01 से 09 में से जो भी लागू हो, पूर्ण जानकारी के साथ, भरने के पश्चात उनका सत्यापन करवाना आवश्यक होगा, जिससे कि प्रवेश के लिए उनकी पात्रता/अपात्रता निर्धारित हो सके। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें स्कूटनी कमेटी/ काउंसिलिंग कमेटी द्वारा अपात्र घोषित किया जाता है, उनका आवंटन स्वमेव रद्द माना जायेगा एवं इसके फलस्वरूप रिक्त हुई सीट को अगले चरण की काउंसिलिंग में दर्शाया जायेगा। स्कूटनी कमेटी/काउंसिलिंग कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।
- (12) अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग/प्रवेश के समय स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य होगा एवं सभी आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।
- (13) ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने ऑल इंडिया में अथवा अन्य राज्य के किसी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लिया है उन्हें स्कूटनी के समय उस महाविद्यालय के अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह अंकित होना चाहिये कि उनके कौन-कौन से मूल दस्तावेज जमा है, यह प्रमाण-पत्र तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटन के पश्चात प्रवेश हेतु दिये गये निर्धारित समय सीमा में प्रवेश के समय महाविद्यालय में अपने समस्त मूल दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका आवंटन स्वमेव निरस्त माना जाएगा तथा उसकी सीट को रिक्त मानते हुए यह सीट आगामी चरण की काउंसिलिंग में प्रदर्शित की जाएगी तथा अभ्यर्थी जिसे यह सीट आवंटित हुई थी वह आगे के चरणों की काउंसिलिंग एवं लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये अपात्र घोषित किया जाएगा ।
- (14) च्वाइस लॉकिंग के उपरांत अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अगले चरणों की काउंसिलिंग एवं लेफ्ट आउट सीटों के आवंटन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये अपात्र होंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे भली भांति सोच विचार कर अपनी च्वाइस भरे ।
- (15) प्रथम चरण के उपरान्त आगामी चरणों की काउंसिलिंग में निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे ।
- अ) ऐसे एमपी आनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है ।
- ब) ऐसे एमपी आनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग की चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।

- स) ऐसे एमपी आनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की काउंसिलिंग में ऑफ्ट फार वेटिंग का ऑप्शन दिया है ।
- द) ऐसे एमपी आनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के चरणों में च्वाइस फिलिंग नहीं की है ।
- (16) यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व के चरणों में आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी कारण से उस सीट से त्यागपत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थी को शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की आगामी चरणों की काउंसिलिंग एवं लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये अपात्र माना जाएगा ।
- (17) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसिलिंग के प्रथम चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है एवं वह उस प्रवेशित सीट पर संतुष्ट (satisfied) है एवं वे काउंसिलिंग के अगले चरणों में भाग लेना नहीं चाहते, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय satisfied option पर क्लिक करना होगा ।
- (18) अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश के समय प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की पावती का प्रमाण-पत्र संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा जारी किया जाएगा ।
- (19) लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन के समय शासकीय स्वशासी/निजी कॉलेजों की पूर्ण वार्षिक फीस तथा अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज काउंसिलिंग स्थल पर जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सीट आवंटित नहीं की जाएगी ।
- (20) (i) ऑल इंडिया कोटे से रिक्त स्टेट कोटे में वापिस प्राप्त (रिर्वटेड) सीट के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो पूर्व के चरणों में आवंटित सीट पर प्रवेशित हों अथवा ऐसे पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो, अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफ्ट फॉर वेटिंग का ऑप्शन दिया है अथवा ऐसे एमपी आनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के चरणों में च्वाइस फिलिंग नहीं की है ।
- (ii) सेवारत उम्मीदवारों (चिकित्सा अधिकारी) एवं प्रदर्शकों को केवल अपनी श्रेणी से सीट आवंटन की पात्रता होगी ।
- (iii) सेवारत अभ्यर्थियों एवं प्रदर्शकों की काउंसिलिंग/आवंटन के पश्चात् रिक्त रही सीटें उसी श्रेणी के ओपन गैर सेवारत अभ्यर्थियों से भरी जाएगी ।
- (iv) संबंधित श्रेणी में विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त रही सीटें उसी श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरी जाएगी ।
- (v) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्कूटनी के समय सत्र 2015-16 का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी-3-7-2013-3 एक भोपाल दिनांक 25/09/2014 के अनुसार संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्ताम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्वप्रमाणित निर्धारित प्रपत्र, घोषणा पत्र (परिशिष्ट-03) के आधार पर व्यक्ति की आय को मान्य किया जायेगा । आय प्रमाण प्रस्तुत न करने की दशा में प्रतिभूति निक्षेप की पूर्ण राशि रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) का ड्राफ्ट जमा

करना होगा। संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा ऐसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्रों/शपथपत्रों के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा कराई जायेगी। जॉच के पश्चात यदि यह सिद्ध होता है कि त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया गया है, तो ऐसे प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित छात्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी, तथा प्रवेश निरस्त किया जायेगा एवं ऐसे छात्रों को सीट लीविंग बॉर्ड के बराबर की राशि यथा रूपये 5,00,000/- (रु. पांच लाख) मात्र संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी खातों में जमा करना होगा, तभी छात्र को मूल प्रमाण पत्र वापस किये जायेंगे।

- (vi) राज्य कोटे के लिए रिजर्वेड अखिल भारतीय कोटे की डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अलग-अलग उपलब्ध सीट्स की संख्या को समस्त वर्गों अर्थात् सेवारत और गैर सेवारत वर्गों में उसी अनुपात में वितरित किया जाएगा जो म.प्र. शासन की आरक्षण नीति अनुसार राज्य कोटा के स्थानों के लिए विहित है तथा इन सीटों को ड्रा ऑफ लाट्स द्वारा वितरित किया जावेगा। किसी श्रेणी को सीट्स की संख्या के संबंध में विवाद की दशा में उच्चतम फ्रेक्शन का विचार किया जाएगा तथा उसे अधिमान दिया जाएगा।
- (vii) किसी भी अभ्यर्थी को एक बार सीट व कालेज आवंटित किये जाने के पश्चात् पुनः आवंटन की पात्रता उसके मेरिट के अनुसार होगी। इसके लिये अभ्यर्थी को प्रत्येक आवंटन के अनुसार निर्धारित तिथि तक संबंधित कालेज में शुल्क जमा करके संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में अंतिम तिथि तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी। शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पुनः आवंटन की स्थिति में महाविद्यालय में जमा वार्षिक शैक्षणिक शुल्क का 10 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 10,000/-) शुल्क काटकर शेष राशि छात्रों को वापस की जाएगी।

#### 18. प्रवेश :-

किसी अभ्यर्थी का किसी विषय पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटित हो जाने के उपरान्त संबंधित महाविद्यालय के डीन/प्राचार्य को अधिसूचित तारीख तथा समय पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।

- (1) डीन/प्राचार्य, दो प्रोफेसर तथा आरक्षित श्रेणी के कम से कम दो चिकित्सा शिक्षकों से मिलकर बनने वाली प्रवेश समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाए जाएं, तो अभ्यर्थी को आवंटित विषय, पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में प्रवेश देगी।
- (2) एक बार अखिल भारतीय अथवा राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश हो जाने पर समस्त मूल प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा रखे जाएंगे तथा इस आशय का एक प्रमाण पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी को जारी किया जाएगा।

(3) सीट लीविंग बाण्ड :

- (i) ऑल इंडिया कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेशित सीट पर अध्ययनरत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा तथा एक सीट लीविंग बाण्ड निष्पादित करेगा कि यदि वह ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंतिम चरण के अंतिम दिन के पश्चात् अथवा उसके पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट से त्यागपत्र देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी समिति को जमा करेगा अन्यथा भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जाएगी तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापस किये जावेंगे। इसके अतिरिक्त डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी त्यागपत्र देने की दिनांक से अथवा निष्कासन की दिनांक से कमशः आगामी तीन वर्ष के लिये एवं आगामी दो वर्ष के लिये राज्य की पी.जी. सीट्स पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे।
- (ii) स्टेट कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेशित सीट पर अध्ययनरत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा तथा एक सीट लीविंग बाण्ड निष्पादित करेगा कि यदि वह एम.पी.स्टेट कोटा प्री.पी.जी. काउंसलिंग के अंतिम चरण के अंतिम दिन के पश्चात् अथवा उसके पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट से त्यागपत्र देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी समिति को जमा करेगा अन्यथा भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जाएगी तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापस किये जावेंगे। इसके अतिरिक्त डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी त्यागपत्र देने की दिनांक से अथवा निष्कासन की दिनांक से कमशः आगामी तीन वर्ष के लिये एवं आगामी दो वर्ष के लिये राज्य की पी.जी. सीट्स पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे।
- (iii) आवंटित सीट पर प्रवेशित सेवारत् अभ्यर्थियों पर भी उपरोक्त सीट लीविंग बाण्ड लागू होगा।
- (4) अखिल भारतीय एवं स्टेट कोटे पर प्रवेशित छात्रों को ग्रामीण सेवा का बंधपत्र पूर्ण करने अथवा बंध राशि जमा कर संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मूल दस्तावेज लौटाये जायेंगे।
- (5) उम्मीदवार को अंतिम चरण की काउंसलिंग एवं लेफ्ट आउट सीट के आवंटन में सीट आवंटन अथवा पुनर्आवंटन के पश्चात् सीट मिलने पर विषय, पाठ्यक्रम श्रेणी तथा महाविद्यालय में प्रवेश दिये जाने के बाद किसी भी आधार पर उसमें कोई परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

- (6) जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक प्रवेश प्राप्त नहीं करता है अथवा प्रवेश लेने की अंतिम तिथि के पूर्व स्थान छोड़ देता है अथवा प्रवेश लेने के उपरांत संस्था प्रमुख की अनुमति के बिना निरंतर 45 दिवस अनुपस्थित रहता है अथवा प्रवेश उपरांत सीट से त्यागपत्र दे देता है तो उसका प्रवेशित सीट पर दावा समपहत हो जाएगा तथा उसे दिया गया आवंटन/प्रवेश रद्द कर दिया गया समझा जाएगा तथा वह आगामी चरणों की काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं रहेगा ।
- (7) समस्त चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्कूटनी एवं प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायेगें। जिसमें अभ्यर्थी द्वारा स्कूटनी एवं प्रवेश के समय की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण हो । वीडियोग्राफी की सी.डी. तीन प्रतियों में तैयार की जाएगी जिसकी एक प्रति अधिष्ठाता, एक प्रति संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं एक प्रति रजिस्ट्रार संबंधित विश्वविद्यालय में जमा कराई जाए ।
- (8) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रत्येक चरण के प्रवेशित छात्रों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को दी जाएगी एवं यह सूची संबंधित कालेज की वेबसाईट तथा नोटिस बोर्ड पर चरपा की जाएगी एवं डीएमई की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी ।
- (9) प्रत्येक चरण की काउंसलिंग एवं उसकी समस्त व्यवस्थाओं के लिये संचालक चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी एवं उसके द्वारा कार्यवाही की जाएगी । इस समिति के समन्वयक एवं नोडल अधिकारी संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा होंगें तथा संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संयुक्त संचालक, संचालनालय चि.शि. पूरी प्रवेश प्रक्रिया के नियमानुसार संचालन हेतु उत्तरदायी होंगें ।
- (10) स्कूटनी के दौरान तथा प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के दोनों हाथों की समस्त उंगलियों के फिंगर प्रिन्ट लेने की कार्यवाही संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य सुनिश्चित करेंगें ।
19. प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार मध्यप्रदेश शासन को होगा । उसकी सूचना संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी । अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in). के सतत् सम्पर्क में रहें एवं उसे देखते रहें ।
20. प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण किया जाना :-
- (i) प्रवेश रद्द/निरस्तीकरण का आशय यह है कि कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश लेने के पश्चात शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी कारणवश स्वेच्छा से सीट रिक्त/परित्याग करता है एवं इस विभाग की आगामी काउंसलिंग में भाग नहीं लेता है इस पूरी प्रक्रिया को प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण माना जायेगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई छात्र प्रदेश के अंदर एक संस्था से दूसरी संस्था में प्रवेश लेता है तब इस प्रक्रिया को अपग्रेडेशन/पुर्नआवंटन कहा जायेगा ।

(ii) किसी भी शासकीय संस्था में प्रवेश निरस्तीकरण के प्रकरणों के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है :-

(क) प्रवेश के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने हेतु अपना आवेदन पत्र पूर्ण औचित्य के साथ संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य को संबंधित छात्र द्वारा प्रस्तुत करना होगा। संबंधित छात्र को अपने आवेदन पत्र के साथ वही फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा, जो उसने प्रवेश के समय प्रस्तुत किये थे, अलाटमेन्ट लेटर की स्वप्रमाणित प्रति, प्रवेश हेतु आवेदक द्वारा जमा की गई फीस रसीद की स्वयं सत्यापित प्रति, संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी आवेदन पत्र मान्य किया जायेगा। आवेदन पत्र पर शीघ्र ही निर्णय लेकर संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य, संबंधित छात्र, एम.सी.आई./डी.सी.आई. तथा संबंधित विश्वविद्यालय एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा को सूचित किया जावेगा। जहाँ सीट लीविंग बॉण्ड की शर्त लागू हो उन प्रकरणों में सीट लीविंग बॉण्ड की राशि जमा कराई जाना अनिवार्य होगा, तभी सीट रद्द/निरस्तीकरण का आवेदन मान्य होगा। प्रवेश निरस्त होते ही संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा मूल अभिलेख संबंधित छात्र अथवा उनके द्वारा अधिकृत अभिभावक को उसी दिन वापस किये जायेंगे।

21. संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य प्रवेशित छात्रों एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश को निम्नानुसार भेजी जाना सुनिश्चित करेंगे :-

(क) संस्था द्वारा किये गये प्रवेश निरस्त की जानकारी संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश को अनिवार्यतः परिशिष्ट-04 में ई-मेल, और डाक/विशेष वाहक द्वारा उपलब्ध कराई जाये।

(ख) समस्त प्रवेशित छात्रों की जानकारी संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश को संबंधित संस्था द्वारा प्रत्येक दिवस परिशिष्ट-04 में ई-मेल, और डाक/विशेष वाहक द्वारा उसी दिन अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की पूर्ण सूचियाँ कम से कम एक वर्ष तक अपने वेबसाईट पर संबंधित संस्थाएँ निरन्तर प्रदर्शित करेंगे तथा निम्न अधिकारियों को उनके वेबसाईट पर सूची/छात्रों के नाम प्रदर्शित रखने हेतु संलग्न परिशिष्ट-04 में ई-मेल एवं डाक/विशेष वाहक के माध्यम से निम्नांकित वेबसाईट पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा :-

(i) संचालक चिकित्सा शिक्षा का ई-मेल आई डी.

**dme12001@yahoo.com**

(ii) एम.पी. आनलाईन का ई-मेल आई डी.

**ashish.singh@mponline.gov.in**

(iii) संबंधित संस्था/महाविद्यालय

(घ) संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद 7 दिवस के अंदर समस्त प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त छात्रों की सूची अनिवार्यतः संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश, विश्वविद्यालय, एम.पी. ऑनलाईन एवं एम.सी.आई. / डी.सी.आई. को ई-मेल, और डाक/विशेष वाहक के माध्यम से परिशिष्ट-04 में उपलब्ध कराई जावे।

(ङ) प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संबंधित संस्था द्वारा कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं करने पर तथा प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा, एम.सी.आई./डी.सी.आई., विश्वविद्यालय, और एम.पी.ऑनलाईन को समय-समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर तथा संस्था द्वारा स्वयं अपने स्तर पर प्रवेश निरस्त किये जाने पर संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य के विरुद्ध नियमानुसार संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा सख्त कार्यवाही यह मानकर की जावेगी कि उन्होंने जानबूझकर जानकारी को छिपाया है।

(च) प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया संवेदनशील होकर महत्वपूर्ण है अतएव छात्रों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश लेने के पूर्व भली-भाँति सोच-विचारकर प्रवेश लें जिससे कि आर्थिक हानि एवं आगामी तीन वर्ष के लिए प्रवेश से वंचित न होना पड़े।

## 22. नियमों का स्पष्टीकरण :-

किसी नियम तथा प्रवेश के लिए किसी प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है। इन नियमों के निर्वचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2016 नियम हिन्दी को ही मान्य किया जाएगा।



मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

परिशिष्ट - 1

क्रमांक 05/123/2013/1/55 भोपाल, दिनांक 3/6/2013  
प्रति,

संबन्धित,  
चिकित्सा शिक्षा  
म0प्र0 भोपाल ।

विषय:- पी0जी0 छात्रों के अवकाश के संबंध में ।  
सन्दर्भ:- आपकी टीप क्रमांक 1192/पीजी/4/संचिशि/13 दि0 2/5/13

- 1- विषयांतर्गत मध्यप्रदेश प्री0जी0नियम 2012-13 के उप नियम-4 के अनुसार पी0जी0 छात्रों को निम्नानुसार अवकाश देय है :-  
(क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी)  
(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस का आकस्मिक अवकाश  
(ग) डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना 90 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी । चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
- 2- मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 147/4572/03/पचपन/चिशि-1 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के अनुसार पूर्व अनुमति, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश/बीमारी का प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

उक्त नियमों के संबंध में निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- (क) उपरोक्त विन्दु 01 एवं 02 के अनुसार अवकाश अवधि को परीक्षा में बैठने हेतु उपस्थिति मान्य किया जावे, किन्तु उतनी अवधि का पृथक से वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिससे वास्तविक प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा ।
- (ख) साथ ही पी0जी0 डिग्री पाठ्यक्रम के लिये केवल 36 माह का ही स्टायफण्ड तथा पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये केवल 24 माह का ही स्टायफण्ड देय होगा ।
- (ग) उक्त प्रकार के प्रकरणों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जावे कि अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरांत ही घोषित हो ।
- (घ) पी0जी0 छात्रों को चिकित्सा अवकाश का आवेदन निर्धारित समय सीमा में संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधिष्ठाता को प्रस्तुत करना होगा ।

(एस.एस.कुमरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय  
भोपाल, दिनांक 1/6/2013


क्रमांक 05/123/2013/1/55  
प्रतिलिपि:-

- 1- अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा की ओर सूचानार्थ ।
- 2- प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर ।

(एस.एस.कुमरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय



भोपाल

P4

2/1/13

परिशिष्ट-1 एसंशोधित प्रसूति अवकाश नियम

सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/1/2010/नि0/4 दिनांक 07/06/2010 के अनुसार प्रसूति अवकाश की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

पूर्व में ओदश क्रमांक एफ 5/123/2013/1/55 भोपाल दिनांक 03/06/2013 के अनुसार पी0जी0 छात्रों के प्रसूति अवकाश के संबंध में 1 (ग) के अनुसार डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना 90 दिवस के प्रसूति के अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

संशोधित प्रसूति अवकाश - सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/1/2010/नि0/4 दिनांक 07/06/2010 के अनुसार प्रसूति अवकाश की पात्रता 180 दिन स्वीकार किया जा सकता है इस अवधि में उसे उस अवकाश छात्रवृत्ति की पात्रता होती है जो वह आवकाश पर प्रस्थान करने के तुरन्त पूर्व प्राप्त कर रही थी। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

फोटो

परिशिष्ट-2

घोषणा-पत्र  
(प्रदर्शकों द्वारा प्रस्तुत करने हेतु)

मैं आत्मज/ आत्मजा श्री .....आयु.....निवासी .....  
.....प्रदर्शक के रूप में चिकित्सा महाविद्यालय .....विभाग  
.....में दिनांक .....से कार्यरत हूँ । मैं शपथपूर्वक घोषणा  
करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा म.प्र. स्टेट काउंसिलिंग वर्ष 2016 के स्नातकोत्तर प्रवेश  
नियम वर्ष 2016 को भलिभांति पढ़ व समझ लिया गया है ।

मैं एतद द्वारा यह शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -

- अ. मैं डॉ० ..... ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई.2016 मेरिट  
कर्मांक .....द्वारा एमडी/एमएस विषय .....संस्था .....  
में प्रवेश लिया गया है ।
- ब. यह कि मेरे द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत मेरी पदस्थापना प्रदेश के किसी  
भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग  
द्वारा की जा सकेगी।
- स. यह कि मुझे इच्छानुसार पदस्थापना /पदोन्नति करवाने हेतु आवेदन करने का  
कोई अधिकार नहीं होगा ।

अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

गवाह

- 1.....  
2.....

03

परिशिष्ट-1

फोटो

आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र  
(सादे कागज पर)

मैं ..... आत्मज श्री ..... आयु .....  
वर्ष शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राम ..... में हॉटेयर/रकड़ कृषि भूमि है जिससे मुझे  
रूपये ..... शब्दों में ..... की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ..... है। इससे मुझे वार्षिक आय रूपये  
शब्दों में ..... है।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रूपये ..... शब्दों में .....  
..... है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं:-  
1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....  
(परिवार से आशारा पति/पतिनी/अवसरक पुत्र/पुत्री/अश्रित माता या पिता से हैं)
6. मेरे परिवार के उक्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रूपये  
शब्दों में ..... है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र  
प्रस्तुत नहीं किया है।

अधिका

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग ..... समय पूर्व एक आय  
प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र शक्ति ..... रूपये वार्षिक का प्राप्ति  
किम्बा/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अब परिवर्तित आय शक्ति .....  
..... वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।  
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ..... आत्मज/पति श्री ..... आयु .....  
..... शपथ-पत्र की कठिंधका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं  
विश्वसनी के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही  
असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा अतन्त्र्य का प्रमाणित  
जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आभार-विनाशकारी प्रक्रियाएँ चलायी जा सकेंगी।  
साथ ही मुझे प्राप्त राशियाँ जमा भी वापस लिये जायेंगी।  
सत्यापन आज दिनांक ..... वर्ष ..... को स्थान ..... में किया गया।

हस्ताक्षर

(परिशिष्ट-4)

From Date..... till Date.....

Proforma of

Updated Position of Admitted Candidates/Cancellation of Admissions/ Vacant Seats

Academic Session 2016-17

Name of College :

Dated.....

| S.No | Name of Candidate | AIPGMEE/AIPGDEE-2016. Merit |            | Eligible Category | Allotted Category | Course/ Subject Allotted | Date of Admission | Date of Cancellation of admission (if applicable) | Reason for cancellation of admission | Present status (Seat filled / Vacant) | No. and Date of allotment letter issued by the DME for allotting State Quota Seats |                |
|------|-------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|
|      |                   | Roll No.                    | State Rank |                   |                   |                          |                   |   |                                      |                                       |  | All India Rank |
| 1    | 2                 |                             |            | 3                 | 4                 | 5                        | 6                 | 7   | 8                                    | 9                                     | 10   | 11             |
|      |                   |                             |            |                   |                   |                          |                   |   |                                      |                                       |  |                |
|      |                   |                             |            |                   |                   |                          |                   |   |                                      |                                       |  |                |

Seal & signature : Dean/ Principal

प्रोफार्मा-1

फोटो

ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2016 परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला घोषणा-पत्र का प्रोफार्मा

मैं, डॉ. ....आत्मज/आत्मजा.....

.....आयु..... निवासी .....सत्यनिष्ठा  
से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि -

1. वर्तमान में मैं मध्यप्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों में यथा 2013, 2014, 2015 में मध्यप्रदेश प्री.पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा चयन के पश्चात् अध्ययनरत नहीं हूँ।
2. पिछले तीन वर्षों के दौरान (2013, 2014, 2015) में मुझे म.प्र. राज्य में किसी भी विषय में म.प्र. स्टेट प्री.पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा कोई स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा आवंटित नहीं किया गया है।
3. गत दो वर्षों के दौरान (यथा 2014, 2015) में मैंने कोई भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा या गत तीन वर्षों के दौरान (2013, 2014, 2015) में कोई स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नहीं की है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम .....

पता .....

**सत्यापन**

मैं, डॉ. ....आत्मज/आत्मजा.....

..... आयु .....निवासी.....सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि अनुक्रमांक 1 से 3 तक में दिये गये तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं।

सत्यापनकर्ता व्यक्ति

दिनांक .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम .....

पता .....

फोटो

**प्रोफार्मा-2**

**प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्कूटनी, काउंसलिंग, आवंटन संबंधी प्रोफार्मा (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)**

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा /दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियमों 2016 को भलीभांति पढ़ लिया है तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 के चिकित्सा/दंत महाविद्यालयों में संचालित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

मैं काउंसलिंग में भाग लेने के लिये आज मूल प्रमाणपत्र अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, या असत्य है या अधूरी है या निर्देशानुसार नहीं है तो ऐसा होने पर, यद्यपि मुझे किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाए-

1. ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2016/ ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2016 परीक्षा का रोल नं.....
2. मेरिट सूची क्रमांक .....
3. पूरा नाम: .....
4. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता .....
5. श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/.....  
अन्य पिछड़ा वर्ग)
6. प्रवर्ग- विकलांग
7. मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही ( ) का चिन्ह लगायें

1. ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2016 / ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2016 परीक्षा की ऑल इंडिया एवं स्टेट रिजल्ट स्लिप एवं मय फोटो के टेस्ट एडमिट कार्ड ।
2. 10 वीं /12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची आयु प्रमाण हेतु ।
3. सभी एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं की अंक सूची ।
4. दिनांक 31 मार्च 2016 को इंटर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र / इंटर्नशिप चलने संबंधी प्रमाण-पत्र (इंटर्नशिप अन्डर गोईंग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च, 2016 को पूर्ण हो जावेगी)
5. एमसीआई /डीसीआई का स्थायी/अस्थायी (इंटर्नशिप अन्डर गोईंग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2016 को पूर्ण हो जावेगी) रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र (स्थायी रजिस्ट्रेशन हेतु एमसीआई को आवेदन की पावती)
6. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित घोषणा पत्र ।
7. भारत का नागरिक होने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।
9. मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध स्थायी जाति प्रमाण-पत्र ।
10. वर्तमान वर्ष 2015-16 का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु )
11. मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नान-क्लिनिकल/ पैराक्लिनिकल विषयों में प्रदर्शक का कार्य करने से संबंधित प्रमाण-पत्र ।
12. प्रायोजित (स्पान्सरशिप) प्रमाण पत्र, (सेवारत उम्मीदवारों के लिए लागू)
13. विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो ।
14. म.प्र. शासन के ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

- नोट-1. अभ्यर्थी को अपना फोटो आई.डी. (नोट आईडी कार्ड/पेन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट ड्रायविंग लायसेंस आदि) एवं ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2016/ ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2016 परीक्षा के आवेदन फार्म पर चस्पा की गई फोटो की 30 प्रतियां स्कूटनी, आवंटन एवं प्रवेश के समय लाना अनिवार्य है।
- नोट-2. स्कूटनी के समय सभी मूल दस्तावेजों की स्व. प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

### स्कूटनी (छानबीन समिति द्वारा भरा जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों, (1-10)कीजांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं।

सम्यक् सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने के लिये पात्र है अथवा

निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कराने के कारण/या अन्य कारणों से काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है।

1. ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई. 2016 / ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2016 परीक्षा की ऑल इंडिया एवं स्टेट रिजल्ट स्लिप एवं मय फोटो के टेस्ट एडमिट कार्ड ।
  2. 10 वीं /12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची आयु प्रमाण हेतु ।
  3. सभी एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं की अंक सूची ।
  4. दिनांक 31 मार्च 2016 को इंटर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र / इंटर्नशिप चलने संबंधी प्रमाण-पत्र (इंटर्नशिप अन्डर गोईंग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2016 को पूर्ण हो जावेगी)
  5. एमसीआई /डीसीआई का स्थायी/अस्थायी (इंटर्नशिप अन्डर गोईंग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी इंटर्नशिप 31 मार्च 2016 को पूर्ण हो जावेगी) रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र (स्थायी रजिस्ट्रेशन हेतु एमसीआई को आवेदन की पावती)
  6. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित शपथ पत्र ।
  7. भारत का नागरिक होने संबंधी प्रमाण पत्र ।
  8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
  9. मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध स्थायी जाति प्रमाण-पत्र ।
  10. वर्तमान वर्ष 2015-16 का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु) / स्व हस्ताक्षरित स्वप्रमाणित घोषण पत्र तत्समय लागू शासन के नियमानुसार।
  11. मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नान-क्लिनिकल/ पैराक्लिनिकल विषयों में प्रदर्शक का कार्य करने से संबंधित प्रमाण-पत्र ।
  12. प्रायोजित (स्पॉन्सरशिप) प्रमाण पत्र, (सेवारत उम्मीदवारों के लिए लागू)
  13. विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो ।
  14. म.प्र. शासन के ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
2. अपात्रता के अन्य कारण:-

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम



फोटो

**प्रोफार्मा - 3****घोषणा पत्र**

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री ..... आयु..... निवासी.....आज दिनांक .....  
 .....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा काउंसलिंग में लिये गये निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

मैं आवंटित संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात्, म.प्र. चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातकाकेत्तर पाठयक्रम प्रवेश नियम 2016 पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

- |    |                                   |                                       |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | गवाह के हस्ताक्षर<br>दिनांक ..... | अभ्यर्थी के हस्ताक्षर<br>दिनांक ..... |
|    | नाम .....                         | पूरा नाम .....                        |
|    | पूरा पता .....                    | पद .....                              |
| 2. | गवाह के हस्ताक्षर<br>दिनांक ..... |                                       |
|    | नाम.....                          |                                       |
|    | पूरा पता .....                    |                                       |

फोटो

प्रोफार्मा - 4

अखिल भारतीय कोट सीट त्याग करने के बदले राज्य चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सीट का आवंटन हेतु घोषणा या प्ररूप

मैं/मुझे ..... पिता/पुत्री/..... निवासी.....  
 ..... रोल न. .... ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई.2016/ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2016  
 परीक्षा में रैंक क्रमांक ..... पर रखा गया है तथा मैंने आवंटन मे ..... विषय .....  
 ..... महाविद्यालय में सीट का विकल्प लिया है तथा मैंने तारीख ..... को उसमें प्रवेश  
 लिया है।

(एक) मैं मध्यप्रदेश ए.आई.पी.जी.एम.ई.ई.2016/ए.आई.पी.जी.डी.ई.ई. 2016 परीक्षा में भी चयनित  
 हुआ हूँ।

(2) इस आवंटन के अनुसरण में, मैं ..... पाठ्यक्रम .....  
 महाविद्यालय..... में पूर्व से ही आवंटित सीट पर दावा नहीं करूंगा। इसे मेरे द्वारा  
 तत्काल प्रभाव से रिक्त माना जाए ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक .....

नाम .....

स्थान .....

रैंक क्रमांक.....

फोटो

**प्रोफार्मा - 5**  
गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिये  
बंध पत्र

रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे  
मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों  
द्वारा ग्रामीण सेवा के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....

..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2016 हेतु  
अभ्यर्थी हूँ।

2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2016 को भलीभांति पढ़कर समझ  
लिया है।

3- मैं सामान्य/आराक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।

4- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

- अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित ग्रामीण क्षेत्रों में विहित की गई  
अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।  
ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों विहित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी  
रहेगा।  
स. मैं निम्न बातों के लिए अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ :-

- (1) यह कि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं  
वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा।  
(2) यह कि, विहित अवधि (पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष की शासकीय सेवा  
शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में शासन को पी.जी. डिग्री हेतु रु0 10,00,000/- (रुपये दस  
लाख मात्र) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रु0 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) का शासन को भुगतान करने  
का वचन देती/देता हूँ।)

द. यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने  
का हकदार नहीं होउंगा/होउंगी।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....  
2.....


प्रतिभूतिकर्ता

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि के समकक्ष बैंक गारंटी अधिष्ठाता चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नाम जमा  
करूंगा जिससे बंधपत्र में उल्लेखित राशि वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर  
आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :-

1- .....  
2- .....



**प्रोफार्मा-6**  
**सेवारत् अम्यर्थियों के लिये बंध-पत्र**  
**(नियम 8 ए (ख))**

(रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)  
मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा  
अधिसूचित सेवा के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..... निवासी.....  
.....मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2016  
हेतु अम्यर्थी हूँ ।

2- मैंने मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश  
नियम, 2016 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3- मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ ।

4- मैं एतद् द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरान्त शासन द्वारा  
निर्देशित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से  
चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।

ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों विहित अवधि के लिये चिकित्सा  
सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा ।

स. मैं निम्न बातों के लिये अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ :-

(1) यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का  
पालन करने हेतु वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा ।

(2) यह कि, विहित अवधि (पी.जी.डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पाँच वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम  
हेतु तीन वर्ष) की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति  
में शासन को पी.जी. डिग्री हेतु रूपये 30.00 लाख (रूपये तीस लाख) अथवा  
डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रूपये 20.00 लाख (रूपये बीस लाख) का शासन को भुगतान  
करने का वचन देती/देता हूँ ।)

द. यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में महाविद्यालय में जमा  
मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होउंगा/होउगी ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....

**प्रतिभूतिकर्ता**

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....

उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि के समकक्ष बैंक गारंटी अधिष्ठाता चिकित्सा/दंत चिकित्सा  
महाविद्यालय के नाम जमा करूंगा जिससे बंधपत्र में उल्लेखित राशि वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :-

1.....

2.....

फोटो

**प्रोफार्मा - 7**

गैर सेवारत/सेवारत अभ्यर्थियों के लिये

**सीट लीविंग बंध पत्र**

रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे

मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....

- ..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2016 हेतु अभ्यर्थी हूँ ।
- 1- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2016 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है ।
  2. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग 2016 में भाग लेकर आवंटित सीट पाठ्यक्रम .....विषय .....तथा संस्था में प्रवेश लिया गया है ।
  - 3- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

- अ मैं चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।
- ब यह कि, मेरे द्वारा अंतिम चरण की काउंसलिंग के अंतिम दिन के पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा संस्था के द्वारा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लीविंग बांड राशि ₹0 5,00,000/- (₹0 पांच लाख मात्र) भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँ ।
- स- यह कि, सीट लीविंग बांड राशि ₹0 पांच लाख जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

- 1.....
- 2.....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि के समकक्ष बैंक गारंटी अधिष्ठाता चिकित्सा/ दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नाम जमा करूंगा जिससे बंधपत्र में उल्लेखित राशि वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर  
आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :-

- 1- .....
- 2- .....

फोटो

## प्रोफार्मा-8

## सेवारत अभ्यर्थी संबंधी जानकारी

अभ्यर्थी का नाम

पिता का नाम

जन्मतिथि

जाति- अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य (प्रमाणपत्र संलग्न करें)

पदस्थापना का स्थान पी.एच.सी./सी.एच.सी./डी.एच. .... ब्लॉक ..... जिला .....

स्थायी पता: मकान न. .... ग्राम/मोहल्ला ..... तहसील .....

जिला ..... पिन कोड .....

पत्राचार का पता: मकान न. .... ग्राम/मोहल्ला ..... तहसील .....

जिला ..... पिन कोड .....

दूरभाष क्रमांक कोड सहित ..... कार्यालय..... निवास

प्रथम नियुक्ति की तारीख .....

क्या लोक सेवा आयोग से चयनित हैं ? हाँ/नहीं

लोक सेवा आयोग पुष्टि तारीख ..... लोक सेवा आयोग मेरिट क्रमांक.....

क्या विभाग द्वारा नियमित हैं ? हाँ/नहीं

नियमितकरण का दिनांक ..... मेरिट क्रमांक .....आदेश क्रमांक.....

पूर्व स्नातक चिकित्सा उपाधि का वर्णन ..... उत्तीर्ण करने का वर्ष.....

क्या कोई पीजी उपाधि/डिप्लोमा धारक हैं ..... उत्तीर्ण करने का वर्ष.....

क्या अखिल भारतीय परीक्षा में

उपस्थित हुए हैं तथा प्रवेश से इंकार किया गया है .....

चिकित्सा परिषद् का पंजीयन क्रमांक .....

घोषणा

मैं, एतद्द्वारा शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास से सही है। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी अभ्यर्थिता समपूत हो जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

फोटो

## प्रोफार्मा-9

प्रायोजित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ....को मध्यप्रदेश चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस./स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये प्रायोजित किया जाता है।
2. डॉ. ....इसके .....(संगठन का नाम) स्थायी/अस्थाई/नियमित/संविदा कर्मचारी हैं।
3. यह कि अभ्यर्थी को प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, इस प्रकार की जिम्मेदारी प्रायोजित संस्था/संबंधित संगठन/विभाग की होगी।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर .....

प्राधिकृत अधिकारी .....

दिनांक .....

## **Madhya Pradesh Government Autonomous Medical and Dental Post Graduate Courses (Degree/ Diploma) Admission Rules, 2016**

No. 5-49-2016-1-55.—The State Government hereby makes the following rules relating to admission to Post Graduate Medical Degree (MD & MS) courses, Post Graduate Diploma Course and Post Graduate Dental Degree (MDS) courses in Government Autonomous Medical and Dental Colleges in the State of Madhya Pradesh.

### **RULES**

#### **1. Short Title and Commencement:**

- (1) These rules may be called the (Madhya Pradesh Medical and Dental Post Graduate Course (Degree /Diploma) Admission Rules, 2016
- (2) They shall come into force for the Academic year 2016-17.

#### **2. DEFINITIONS:** In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "AIPGMEE" means the All India Post Graduate Medical Entrance Examination, 2016.
- (b) "AIPGDEE" means the All India Post Graduate Dental Entrance Examination 2016.
- (c) "College" means a Government/Autonomous Medical or Dental College under the State Government;
- (d) "Examination" means the AIPGMEE-2016/AIPGDEE-2016
- (e) "In-Service Candidate" means, Medical officer whose list will be provided by Commissioner Health, Government of Madhya Pradesh.
- (f) "Demonstrator" means demonstrator working under Govt. of M.P. Medical Education Deptt. in Govt./autonomous institution.
- (g) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes (OBC) as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh )
- (h) "Rural Area" means the area other than Municipal Corporation area and Municipal Council area;
- (i) "Notified area" means : any areas situated in the M.P. State notified Tribal sub planning development blocks.
- (j) "Scheduled Castes" means Scheduled Castes (SC) as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;



- (k) "Scheduled Tribes" means Scheduled Tribes (ST) as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh.
- (l) "Category" means Scheduled caste, Scheduled tribe, other backward class and unreserved category as specified and laid down by the Government of M.P.
- (m) "Class" means Physically Handicapped (P.H.) (As specified and laid down by the Ministry of labour Govt. of India) and women.
- (n) "Selected Candidate" means a candidate who has been allotted a seat based on merit list of AIPGMEE-2016/AIPGDEE-2016 conducted by NBE New Delhi and AIIMS, New Delhi.
- (o) "State Government" means Government of Madhya Pradesh;
- (p) "Tribal Area" means area under tribal sub plan;
- (q) "MCI" means Medical Council of India;
- (r) "DCI" means Dental Council of India;

### 3. **GENERAL:**

- (1) PG Degree and Diploma courses will be governed and regulated by MCI / DCI / University / State Government / Government of India / Autonomous Society of the College under the rules and regulations in force as amended from time to time at the time of entrance examination, allotment, admission, as the case may be.
- (2) PG courses are full time courses for a period of three years in case of degree and two years in case of diploma from the date of admission. Students shall not be allowed to do private practice, part time job or any other job during the entire period of study.
- (3) Correct information must be furnished and produced whenever required. All the eligible candidates are required to get online registration done with M.P. online compulsorily before counselling. Only those candidates who have registered themselves Online with M.P. Online shall only be eligible to participate in counselling. Before filling up the Scrutiny form, candidates are advised to read and understand the rules thoroughly and fill up complete and correct required information in the scrutiny form and enclose required documents, failing which the applicants shall not be entitled to admission on allotted seat.
- (4) The candidates are instructed to produce 30 copies of the same photograph at the time of Counselling & Admission which has been affixed on the online AIPGMEE-2016 & AIPGDEE-2016 application form. Only these photographs will be used for scrutiny, admission & till completion of course in the medical college and university

(5) **Specification for Photograph :( As per the Prospectus of NBE New Delhi - 2016)**

- A photograph of minimum 35x45 mm with at least 75% coverage of face & head of the candidate.
- A caption indicating name of candidate and date of taking photograph should be there at the bottom of photo.
- Photograph would be taken in a white/very light coloured background.
- The photograph needs to display full front view of the face. Please look directly into the camera with a neutral expression.
- Avoid photograph with reflection or shadow on the face with red eyes.
- The photograph needs to be printed on a high quality paper with at least 600 dpi resolutions.
- The colours must possess the natural appearance and skin tone.
- The photograph must not have kinks, scratches and stains.

(6) At the time of scrutiny, candidate should furnish correct information. The candidate should put his full and same signature at the time of entrance examination, scrutiny and at the time of admission in the allotted college, if the signature differs, the candidate will not have any right for allotment of seat / admission.

(7) If it is found that a candidate has hidden any relevant facts and / or provided incorrect information while filling up the application form at the time of conduct of entrance examination/ allotment of a seat/during process of admission at the time of scrutiny of the documents and after his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Dean / Principal of the College at any time during his/her studies and F.I.R. will be lodged against him/her.

(8) **The candidate will have to produce State result/score slip of AIPGMEE-2016/AIPGDEE-2016 at the time of scrutiny of documents and admission, so that M.P. domicile status of candidate can be verified. In addition candidate will have to produce M.P. domicile certificate issued by the competent authority.**

4. (1) The Students shall be entitled to (Including In-Service Candidates/Demonstrator):-
- (i) One weekly off (non-cumulative)
  - (ii) Casual leave for 19 days per academic year.
  - (iii) Entitlement of Maternity leave with stipend during the entire tenure shall be for 180 days with prior permission of the Dean/Principal. Medical certificate must be produced within ten days of proceeding on leave. As per M.P. Govt. Department of Medical

- × Education Ministry order no. F5/123/2013/01/55 Bhopal dated 03/06/2013 (annexure- 01) and G.A.D. order no.F1-7/1/2010/ni/4 Bhopal dated 07/06/2010.
- (2) As per Madhya Pradesh Government Medical Education Department order No. 147/4572/03/55/M.E.-1, Dated 14-01-04 Medical leave shall be 15 days per year without stipend with prior permission. Sickness Certificate has to be produced within 10 days after proceeding on leave. This leave can be taken every year, but it will not be cumulative. The information regarding leave shall be given to Dean office through head of the department of concerned subject.
5. Students found guilty of misconduct, indiscipline and absence shall be liable to disciplinary action including expulsion from College by the Dean / Principal and cancellation of registration by the University. If the candidate unauthorisedly & without information remains absent continuously for 45 days then his/her admission will be treated as cancelled automatically. This period of absence will not be adjusted against any of the permitted leave to the candidate, and such expelled admitted candidate in Degree/ Diploma courses will not be eligible for admission in State P.G. seats (MD, MS, MDS) for next 3 years in case of Degree course and next 2 years in case of Diploma course respectively from the date of expulsion and they will have to deposit Rs. 5.00 lacks ( Rs. 5 lacks) to the autonomous society of the concerned college or else it will be recovered as land revenue arrear, only after that the original documents of the candidate will be returned.
6. The information regarding all the Post Graduate degree and diploma seats recognised/permitted by Government of India, subject-wise, course-wise & colleges-wise will be made available subject wise, course wise and college wise at the time of counselling.
7. **RESERVATION:-**
- (1) Six seats are reserved for Demonstrators working in Govt.-Autonomous medical colleges. The information about the seats will be made available at the time of counselling.
- (2) 20% Seats are reserved for candidates belonging to Scheduled tribe, 16% seats are reserved for candidates belonging to Scheduled caste and 14% seats are reserved for candidates belonging to other Backward Classes other than creamy layer of Other Backward Classes of Madhya Pradesh or as amended from time to time.
- (3) Reservation for woman candidates shall be 30% of total seats in each category according to merit cum option in each category.
- (4) The candidate claiming to be a candidate belonging to Scheduled castes/ Scheduled Tribes / Other Backward Classes category of Madhya Pradesh shall

✱ have to attach a valid certified copy of certificate issued by the Competent Authority of Government of Madhya Pradesh with the application form and the Permanent original caste certificate has to be produced at the time of counselling. The Caste certificate should bear issue No., Dispatch no., date and seal of the issuing officer else it will Not be accepted. He/She will not be Eligible for reservation if fails to produce the permanent caste certificate. The sole responsibility will be of the candidate.

(5) **For Physically Handicapped** candidates who are Bonafide residents of Madhya Pradesh and who belong to Scheduled caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Classes and Unreserved category, three percent (3%) seats categoriwise are reserved for admission to P.G. courses. In this regard compliance of the order dated 29/08/2009 in W.P. No. 4828/09 of Hon'ble High Court shall be ensured. Vide MCI order No 34(41) 2008-Medi/54469 dated 25 March, 2009 the seats shall be filled first by candidates with locomotor disability of lower limbs between 50-70 % ( PH-1) provided that in case seats remained unfilled on account of unavailability of candidate with locomotor disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat shall be filled by candidate with locomotor disability of lower limbs between 40% to less than 50% ( PH-2).

(6) In Case eligible Physically Handicapped candidates are not available, the vacant seats will be filled by candidates of that category.

The candidate claiming admission against these seats will have to produce valid certificate, in the prescribed form, District Medical Board and eligibility certificate from superintendent vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Government of India, Ministry of Labour, Napier Town, Jabalpur. both the certificates are necessarily to be presented in original. Non production of both the certificates at the time of scrutiny will disqualify a candidate for seat allotment & admission. The eligibility certificate should not have been issued more than 3 months before the date of counselling. After registration on the basis of 50% to 70% disability of lower limbs (PH-1) and 40% to less than 50% disability of lower limbs, seats will be provisionally allotted. Only after scrutiny the eligibility of the said class will be decided. If a candidates is found not-eligible in scrutiny than candidate's allotment will be cancelled and seat so vacated will be included in the next round of counselling.

(7) Following disabilities are not eligible as per MCI guidelines -

- 1- Upper limb Handicapped
- 2- Visual Handicapped
- 3- Hearing Handicapped
- 4- Lower limb more than 70% Handicapped

- (8) In case the eligible candidate to the extent of reservation in any category i.e. Non service and in- service are not available the vacant seats of that category will be filled up by making available to other categories as given below:-
- (a) The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates.
  - (b) The vacant seats of SC category shall be filled up by the eligible ST category candidates.
  - (c) In case the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidates.
  - (d) In case the eligible candidates are not available in these three reserved categories in the above manner the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.
- (9) In PG Degree and Diploma Courses of seats are reserved for In- service Medical officers of any Department of the Government of Madhya Pradesh (Except Demonstrator) will be made available at the time of counselling.

**8. Selection Criteria :- (In Service Candidate)**

Selection process and conditions for P.G. degree and diploma courses for In-service candidates will be as per the policy decided by Department of Public Health & Family Welfare as under :-

**(A) Medical Officer**

- (a) Only those candidates, who are working as Medical Officers in the Department of Public Health & Family Welfare, Govt. of M.P. & who have completed 3 years of rural service on 30 April, 2016 of year of admission as Medical Officer, or a candidate who is working consecutively as regular/contractual medical officer in Department of Public Health & Family Welfare, Govt. of M.P. or any other department or State/ District Health Committee and has completed 3 years of rural notified area service will be eligible as In-service candidate.
- (b) In-service candidates and candidates working on contractual basis as above will have to execute a bond ( proforma-6) worth Rs. 30.00 lack(Rs thirty lacks ) for degree and Rs 20.00 lack(Rs. twenty lacks )for diploma for serving in Tribal dominated areas as notified by Department/society for 5 years after completing degree and for 3 years after completing diploma course. The bond will be executed in favour of Dean of concerned Medical College.

- (c) Only regular in-service candidates will be considered as sponsored candidates and will be paid salary by the concerned Sponsoring deptt. The contractual candidate will not be eligible for getting the salary. This sponsorship shall not be for tuition fee or any other benefit, rather such candidates shall have to deposit prescribed fees compulsorily for the course. Deptt. of Medical Education shall pay the stipend to the in-service contractual candidate during the course..
- (d) 3 years period of required service of candidate will not be considered if he/ she was on unauthorized absence from duty/ any dies-non period / any period of leave without pay.
- (e) The Maximum age limit for the selection of In-service male candidates will be 45 years and for female candidates maximum 50 years on 30th April of the year of admission.

**(B) DEMONSTRATORS -**

- (a) Demonstrators who have completed five years of regular service as on 30/04/2016 are eligible for admission on 06 seats reserved for them.
- (b) They will have to execute a bond of Rs. 30.00 lakh (Thirty lacks) to serve the medical education department for five years after completing P.G. course compulsorily.
- (c) The Medical Education department reserves all the rights related to posting and promotion after completion of the course. The candidate has no rights to apply for posting/promotion as per his/her choice and he/she can be posted to any autonomous medical college by Medical Education Department. In above context the Demonstrator has to deposit a self-signature declaration (Annex.2) to that effect compulsorily at the time of counselling.
- (d) The maximum age limit for the selection of demonstrators will not be more than 45 years for male candidate on 30th April of the year of admission and for female candidate the age limit will be 50 years

**Examination and Merit list:-**

- (1) The merit list based on the result of AIPGMEE-2016 declared by NBE New Delhi for MD/MS/ Diploma courses and results of AIPGDEE-2016 declared by AIIMS for MDS Courses will be considered.
- (2) In-service candidates/ Demonstrators will be selected on the basis of AIPGMEE 2016 In-service candidates/ Demonstrators shall have to secure minimum qualifying marks in the AIPGMEE/AIPGDEE 2016 as prescribed in these rules for entrance examination. A separate eligibility

and merit list of successful in-service candidates/ Demonstrators will be prepared.

### **(3) Medical Officer**

All in Service Candidates will submit their application along with Mark sheet to Commissioner Health Services. Commissioner Health Services will prepare a common merit list of all the in Service Candidates. Commissioner Health Services will add additional awarded marks for rural service on the basis of calculation as given below and submit the final list to Director Medical Education for seat allotment/ Admission.

The inter-se merit of the successful in-service candidates shall be fixed up by adding marks of weightage for their services rendered in rural/notified/areas marked as high priority. The candidates serving in such areas will get maximum of 200 marks, allotted on the following basis:-

- (a) If such services are rendered in primary health centre/community health centre situated in rural area/nagar panchayat area or municipal council area (formed under municipalities' act 1961) then 20 marks will be given for one year and maximum 100 marks for five years.
- (b) If such services rendered in District Hospital/Civil Hospital/Community Health Centre/Primary Health Centre situated in area which comes under tribal sub plan of district notified as high priorities district by Government under National Health Mission – Jhabua, Alirajpur, Panna, Mandla, Dindori, Sidhi, Singroli, Anuppur, Umariya and Shahdol then additional marks at the rate of 20 per year, maximum 100 marks for five years will be awarded.
- (c) For services rendered by the Female in-service candidate in areas which come under tribal sub plan/high priorities notified area will be awarded at the rate 10 additional marks per year, a maximum of 50 marks for five years.
- (d) For the purpose of this rule the period of service of candidates while posted or attached in areas other than rural/notified/area notified as high priority area or if he/she was on unauthorised absence from duty/any dies-non period/any period of leave without pay will not be counted for the purpose of calculation of marks for weightage of rural service.
- (e) The final merit list of in-service candidates will be prepared on the basis of marks obtained in entrance examination and marks secured for weightage of rural/notified/high priority areas (Equivalent to maximum 200 marks) given by Director of Health Services.

- × (f) In case of two or more candidates obtaining equal marks, the inter-se merit will be decided by giving preference to the age of the candidate.
- (g) The counselling of in-service candidates will be done by the Medical Education Department.
- (h) Other departments shall send the name of the in-service Medical officers with the departmental remarks to the Commissioner Health services Govt. of M.P. Commissioner Health services will add the names of these applicants to the list of in service candidates and will send it to the Director Medical Education.
- (4) **Demonstrators** – The Demonstrators will send their application to DME through the concerned Dean. There is no provision of giving marks for service separately. The application received through the concerned Dean and on the basis of marks obtained in AIPGMEE-2016 the separate category wise merit list will be declared by Director Medical Education for counselling.
- (5) **Scrutiny of documents** - All the in-service candidates/Demonstrators have to produce their documents in the desired format to the scrutiny committee. At the time of scrutiny in-service candidates/demonstrators have to produce No objection certificate and Sponsorship certificate from the employer. In addition Demonstrators will have to submit self signed declaration(Annex.2) stating that after completion of their P.G. course they may be posted in any of the Govt. Autonomous Medical College by the department of medical education.

**10. Return to the Department after completing the course:-**

The normal term for PG degree is 36 months and for Post Graduate diploma is 24 months. Candidates completing the tenure will have to go back to their Parent department irrespective of their status of the examination whether they have passed or not. No extension to continue the studies shall be granted under any circumstances. It is compulsory for the candidate to undergo the extra training equivalent to the maternity leave period. No stipend / Salary will be paid for this duration.



**11. FEE, BOND ETC :-**

- (i) Selected candidates except In-service/Demonstrator, Non-service candidates will have to submit a Bond as per Government instructions i.e. Rs.10.00 Lac. for postgraduate degree and Rs.8.00 Lac. for Diploma courses for serving under the State Government in the notified area for 1 years after completing PG degree / Diploma Course. All Deans of autonomous colleges will provide the list, to the Commissioner, Health Services, of candidates who are appearing for University exams from their institute at least three months before the start of examination. They will also provide list of successful PG candidates. The Commissioner, Health Services will issue appointment orders to such successful candidates within three months after declaration of the result, failing which the Bond filled by candidate will automatically be deemed as cancelled.

However, such Doctors will have to work under the State Govt. as directed.

- (ii) As per order no. F-4-7/2010/1/55 dt. 25.8.2010 Ministry of Medical Education Govt. of M.P., the U.G./P.G. student who have been selected in autonomous Dental/Medical colleges on the post of Asstt. Prof/S.R./J.R./Demonstrator, will be exempted from the rural service bond /notified areas service bond, on the condition that they will serve the institution in which posted for the duration equivalent to the bond period. Candidate leaving the job before completion of above duration will have to serve in Rural/Tribal Area for remaining period.

- (iii) The Original documents of the candidate will remain deposited with the Dean/Head of the Institution of the Concerned College for the entire duration of his Bond-Period & will be released only after successful completion of Bond conditions.

If a candidate wants an exemption from Bond then as per order passed by Hon'ble High Court, Bench, Indore in W.P. No. 11677/2010 and others, he/she has to deposit the amount of bond money in the autonomous account of the concerned college. The Dean will be competent authority for the same. If a student wants to pursue higher education then he/she will have to deposit a Bank Guarantee equivalent to the amount of bond money in the concerned college. His/her original documents will be returned only after he/she has deposited the above mentioned Bank Guarantee. Candidate will have to complete his/her mandatory rural service, after completion of higher education. Bank

Guarantee will be returned only after completion of rural service; else Bank Guarantee will be forfeited.

## 12. FEE STRUCTURE:

Every Candidate including In-Service/Demonstrator Candidates shall have to pay regular fee as detailed below :-

- |   |                               |                         |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | TUITION FEE (Degree)          | Rs.50, 000/- Per Annum. |
| 2 | TUITION FEE (Diploma)         | Rs.50, 000/- Per Annum. |
| 3 | HOSTEL FEE                    | Rs.12, 000/- Per Annum. |
| 4 | STUDENT FUND                  | Rs 1000/- Per Annum     |
| 5 | CAUTION MONEY (Refundable)    | Rs. 3,000/-             |
| 6 | SECURITY DEPOSIT (Refundable) | Rs. 10,000/-            |

## 13. FEES REFUND -

Student admitted through All India Quota or State Quota and who submits in writing for leaving that seat to his/her respective college authority till 5.00 P.M. on the last day of last round of Counselling of State Quota seats shall be refunded the deposited fees after deducting 10% of the Annual Tuition Fees. No application for such refund will be considered after that period & the deposited fees will not be refundable. (This scheme will be equally applicable to the candidates taking admission within the state as well as candidates from outside the state.)

**In case of re-allocation of seat in other Government/Private Medical/Dental College, 10% of the deposited Annual Tuition Fees (Maximum Rs. 10,000) will be deducted & remaining amount will be refunded to the candidate.**

## 14. SECURITY DEPOSIT:

- (i) Candidate will deposit Rs. 10,000 as security deposit in the form of a demand draft/ Multicity cheque payable to Director, Medical Education Madhya Pradesh Bhopal at the time of counselling.

Provided that a candidate who belongs to Scheduled Caste / Scheduled Tribe category whose parents / Guardians income does not exceed Rs. 3.00 lacks per annum from all sources shall not make any security deposit. Provided that other Scheduled Caste / Scheduled Tribe candidates, whose parents/guardians income exceeds Rs. 3.00 lack per annum from all sources and all candidates belonging to Other Backward Classes category shall be required to deposit only Rs. 2,000/- as security deposit.

- x (ii) The amount of security deposit shall be refundable without interest after successful completion of the course. In case a candidate does not join the allotted course, subject and institution or discontinues the study in a course after admission on the allotted seat after the last date of admission of the last round of counselling or leaves college before completion of the course due to any reason, his/her claims on security deposit shall be forfeited.

**15. ELIGIBILITY:**

- (1) Minimum qualifying marks obtained out of total maximum marks in AIPGMEE/AIPGDEE-2015 to be eligible shall be as given below

(a) Unreserved-50% (b) Reserved - 40%

(c) Handicapped unreserved- 45%

- (2) The Candidate must be a bonafide resident of Madhya Pradesh. According to Madhya Pradesh Government General Administrative Department letter no.3-7/2013/1/3 Bhopal dated 20 May 2015 , the Collector or an Authorised officer designated by the Collector of concerned district will issue the Domicile certificate. The certificate should have reference number, date of issue of certificate, seal and name of the issuing officer.

According to Madhya Pradesh Government General Administrative Department letter no.c-3-7-2013-3-1 Bhopal dated 25 September 2014, any one of the following conditions will be deemed to be included as bonafide resident of Madhya Pradesh :-

- 2.1 Applicant should be born in M.P.  
 2.2 Living in M.P. continuously since not less than 10 years.  
 2.3 Parents of applicant who is in-service/retired employee of StateGovt.institution/corporation/Board/Commission/Established under State Government. But the employee employed in institution/corporation/board of State Government or under State Government offices situated outside the geographical boundaries of state will have to fulfil one of the criteria no. (1.1) or (1.2)  
 2.4 Parents of applicant who is employee/retired employee of Govt of M.P.  
 2.5 Parents of applicant who is a person appointed in Madhya Pradesh by Hon'ble President of India/ Hon'ble Governer of M.P. on Constitutional/Legal post.

x 2.6 Son/Daughter of such retired soldiers who have lived in M.P. for five years or whose relatives are living in M.P. This will be verified on the basis of the certificate issued by Sainik kalyan Sanchalnalaya. In this point Relative refers to the wife or husband or Mother /Father of Ex serviceman

OR

The candidate must have passed all MBBS/BDS examinations from Medical/Dental Colleges of Madhya Pradesh.

OR

The candidates who are bonafide residents of Madhya Pradesh but they have passed M.B.B.S./B.D.S course from outside M.P. from institutions recognized by Medical/Dental Council of India, New Delhi.

OR

Medical officers nominated by any Department of the Government of Madhya Pradesh (In - service candidates).

OR

Demonstrator working in Govt-Autonomous institution under Dept. of Medical Education M.P.

- (3) All admitted P.G. Medical students should be registered with M.P. State Medical Council/ M.P. State Dental Council to practice in the State of Madhya Pradesh. Else action will be taken for cancellation of admission.
- (4) Selected candidates who are not registered with M.P. State Medical/Dental Council must submit a copy of receipt of M.P. Medical/Dental Council registration fee & application within one month of taking admission on allotted P.G. seat.
- (5) Candidate should have completed compulsory internship from M.C.I. / D.C.I. recognized institution on or before 31st March, 2016.
- (6) Any candidate including In-service candidate/Demonstrator who has been admitted on allotted seat from All India quota or State quota leaves the seat or is expelled due to any reason then the candidate will not be eligible for admission on State P.G. seats for next 3 years in case of Degree course and next 2 years in case of Diploma course from the date of leaving the course or from the date of expulsion.
- (7) In addition, a candidate who has completed Post Graduate Degree/Diploma course will not be eligible for next three years in case of Degree course and for next two years in case of Diploma course from the date of completion of such course, respectively.
- (8) Such candidates who have been given admission through All India Quota in P.G. Courses in M.P. State on the basis of their All India merit

in AIPGMEE 2016 /AIPGDEE-2016 & have also been selected in AIPGMEE 2016/AIPGDEE-2016 merit list for M.P. State, shall also be eligible to participate in M.P. State counselling but the candidate will have to vacate the All India seat if he/she opts for M.P. State seat.

- (9) It is mandatory for the candidate to be present in person at the time of counselling with all necessary original documents. All such eligible candidates who have already taken admission in any Medical/Dental college have to produce a certificate from the Dean/Head of the Institution at the time of scrutiny, stating the names of the original documents deposited with the institution.

The certificate should not be more than three months old. The candidate has to compulsorily deposit all his/her original documents within the stipulated time period given on the allotment letter for the admission else the allotment of the seat will be deemed cancelled and this seat will be included in the next round of counselling treating it as a vacant seat.

Such candidate to whom this seat was allotted will be declared not eligible for the subsequent rounds of counselling and for allotment of left out seats.

All other candidates except the candidates who are admitted in M.P. State Government Autonomous Medical/Dental Colleges after re-allocation will have to produce all original documents to participate in the last round of counselling.

**NOTE:-**

Vide Govt. of Madhya Pradesh, Medical Education Department order No.F-5-15/03/55/ME/1 dated 26/12/2003 the bonded student admitted to MBBS course who have qualified in AIPGMEE 2015 have to produce no objection certificate from Director of Health Services /Director of Medical Education then only they will be given admission in P.G. courses.

16.

**MERIT LIST:-**

- (1) Counselling will be done on the basis of merit list based on the result of AIPGMEE/AIPGDEE-2016, in which minimum qualifying marks for eligible candidates will be as follows:-
- (a) Unreserved-50%
  - (b) Reserved - 40%
  - (c) Physically Handicapped unreserved- 45%

- x (2) Only earmarked seats will be available for physically handicapped candidates in Government Autonomous Medical/Dental College.
- (3) Separate merit list category wise shall be made of in-service candidates after adding the qualifying marks scored in AIPGMEE 2016 common entrance test and marks allotted by the Directorate of Health Services. Counselling will be done on the basis of final merit list of in-service candidates
- (4) Merit list of the Demonstrator will be prepared separately.

### **17 COUNSELLING:-**

The counselling schedule of M.P. Pre P.G.-2016 will be published separately based on the schedule of All-India Pre P.G. counselling 2016 and according to orders issued by the Hon'ble Supreme Court.

Process of counselling will be as follows:-

- (1) First round of counselling will be online. Second round of counselling and the allotment of seats for left out seats if any will be offline.
- (2) Detailed information regarding counselling will be displayed on Directorate's Web site [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) and M.P. online Web site [www.mponlin.gov.in](http://www.mponlin.gov.in) candidates are advised to remain in touch with web site.
- (3) Candidates will have to register himself/herself online with M.P. Online compulsorily on the scheduled dates before the first round of counselling. Only online registered candidates with M.P. online will be eligible to take part in the State counselling process.
- (4) The Registration facility shall be available only on scheduled dates before the first round of counselling. After the commencement of first round of counselling, registration process will not be reopened in any subsequent round. Therefore, all those candidates who want to participate in counselling are advised to get themselves registered online with MP online on the scheduled dates before the first round of counselling. If a candidate does not register online with MPonline on the scheduled dates then he/she will not be eligible to take part in any round of counselling and for allotment of left out seats.
- (5) Candidates can give option at the time of Registration/seat allotment for admission in either Govt. Autonomous Medical/Dental or Private medical/dental college as per his/her eligibility.

The option may be given as below:

- (a) Govt. Autonomous Medical/Dental College.
- (b) Private Medical/Dental College.
- (c) Both of them as above.

(6) Candidate has to pay registration fee Rs. 500, portal fee Rs. 30 and Rs. 100 at the time of choice locking. This amount may be deposited by the candidate in the authorised Kiosk of M.P. Online or can be paid through :-

- (a) Internet Banking
- (b) ATM cum Debit card
- (c) Credit card

Note - The candidate has to deposit Rs. 530 at the time of registration and Rs. 100 at the time of choice locking.(in total Rs. 630) compulsorily. If the candidate fails to deposit fee of Rs. 100 for choice locking in that case choice filling by the candidate will not be considered.

(7) There will be one Registration only for both the Govt. Autonomous and Private Medical and Dental College

(8) After registration the candidate will exercise choice filling and choice locking as per his/her eligibility. Candidates are advised to take a print - out of their choice locking .No change shall be allowed after the choice locking. Printout has to be produced at the time of scrutiny and admission.

(9) Such candidates who do not want to fill their choices for the available subjects \colleges, for them the option of 'opt for waiting' will be available.

(10) After declaration of the result of allotment, candidate can obtain printout of his\her provisional allotment letter by using the password provided to him/her by the M.P. online at the time of registration.

(11) For the candidates who have been allotted seat provisionally, it will be compulsory for the candidate to get his/her original documents and the applicable appendix 1-4 and proforma 1-9 attached along with Rules of year 2016 filled in all respect, scrutinised at the time of taking admission on the allotted seat by the scrutiny committee at Gandhi Medical College, Bhopal to ascertain his/her final eligibility/ non eligibility for admission. The allotment of candidates who are declared not eligible by

thescrutinycommittee/counsellingcommittee at Gandhi Medical College, Bhopal will be considered as cancelled and the vacant seat so created will be shown in the next round of counselling. The decision taken by the scrutiny committee/counselling committee will be final.

- (12) Candidate has to be physically present, and also must submit all necessary original documents at the time of counselling/admission.
- (13) Those eligible candidates who have already taken admission in All India or any other state Medical/Dental College will have to produce, at the time of scrutiny, a certificate issued by the Dean/Institute Head in which it should be mentioned what all documents have been deposited with them. This certificate should not be more than Three months old. Such candidates after allotment will have to deposit original documents compulsorily within the stipulated time limit at the time of admission, otherwise their allotment will be treated as cancelled and the vacant seat will be shown in the next round of counselling and also such candidate on allotted seat will not be eligible for next rounds of counselling and also for allotment of left out seats.
- (14) After choice locking it is compulsory for the candidate to take admission on the allotted seat else the candidate will not be eligible for the subsequent rounds of counselling and allotment of left out seats. **It is expected from the candidates to fill their choices carefully.**
- (15) Following candidates will be eligible for subsequent round of counselling after the first round of counselling :-
- (a) Such online registered admitted candidates on allotted seat of previous rounds of counselling.
  - (b) Such online registered candidates who have not been allotted any seat in the previous rounds of counselling.
  - (c) Such online registered candidates who have given "Opt for waiting option" in the previous rounds of counselling
  - (d) Such online registered candidates who did not do choice filling in previous rounds.
- (16) If a candidate after taking admission on the allotted seat resigns due to any reason then he/she will be considered not eligible for the subsequent



round of counselling and for allotment of left out seats for Govt. Medical/Dental colleges and Private Medical/ Dental colleges.

- (17) Candidates who have taken admission on allotted seat in the first round of counselling and are satisfied with the admitted seat and do not want to take part in subsequent rounds of counselling, such candidates will have to click on satisfied option at the time of admission.
- (18) Institute head will issue a certificate to the candidate regarding the number of original documents deposited by the candidate.
- (19) At the time of allotment of left out seats in the Govt. Autonomous / Private Colleges the candidate will have to deposit full annual fee and all original documents at the site of counselling compulsorily otherwise they will not be allotted seat.
- (20) (i) For the reverted State quota seats from All India quota only those candidates will be eligible who were admitted on the allotted seats in the earlier round, such registered candidates who have not been allotted any seats in the earlier rounds, those candidates who have given the option "Opt for waiting or candidates who did not fill the choices in earlier rounds.
- (ii) In service candidates (Medical Officers) and demonstrator will be eligible in their own category for seat allotment.
- (iii) The vacant seats of In- service candidates and demonstrator will be filled up by the open candidates of same category.
- (iv) Vacant physically handicapped seats will be filled up by the open candidate of same category.
- (v) Reserved category candidates will have to submit income certificates of 2015-16 at the time of scrutiny as per M.P. Govt. G.A.D. department letter no. C/3-7/2013-3-one Bhopal dated 25- 9-2014, the self-signed self-attested income certificate in prescribed income declaration proforma(Annx.03) submitted by the candidate will be considered valid. In case of non-presentation of income certificate the candidate will have to deposit security deposit of Rs.10, 000/- (Rupees Ten Thousand only). Dean/ Principal of concerned institution will get the self-attested, self-signed declaration furnished by such admitted candidates verified by the concerned competent authorities. If it is proved after verification that the candidate has taken admission on the basis of false document then such certificate will be cancelled and legal action

will be taken as per the prevailing rules. Admission of the candidate will be cancelled and such candidate will have to deposit Rs. 5, 00,000(Rs five lac) only in the autonomous account of the concerned college as penalty and then only original documents of the candidate will be returned.

- (vi) Reverted degree/diploma seats from All India quota made available to the state will be distributed in proportion to the State quota seats according to the M.P. Govt. reservation policy for all the categories i.e. In -service and the open category by "Draw of lots". In case of dispute regarding no. of seats in any category, highest fraction will be considered and weightage will be given.
- (vii) Any candidate who has been allotted a seat and College once will be eligible for re allotment on the basis of his/her merit. Such candidates will have to complete the admission process within the stipulated date by depositing the fee in concerned college.

**In case re allotment in Govt./Private Medical and Dental College 10% (Maximum Rs. 10,000/-) of annual tuition fee will be deducted and remaining amount will be refunded to the candidate.**

18.

### **ADMISSION:**

The candidate who has been allotted a subject, course and college during the counselling has to report to the Dean/Principal of the College within the specified date and time.

(1) Admission Committee consisting of Dean/Principal, Two Professors and Two Medical Teachers of the reserved categories will verify the original documents and if found eligible then will give admission to the candidate in the allotted subject, course and college.

(2) Once admitted under All India or State quota candidate has to deposit all original documents in the concerned college, A certificate to this effect will be issued to the candidate by the Dean/Principal of concerned college.

### **(3) Seat Leaving Bond**

(i) After taking admission on the All India quota allotted seat, candidate has to submit an affidavit stating that he/she will complete the course and will submit a seat leaving bond, stating that if he/she resigns from the seat or is expelled from course due to any reason after the last date of last round of All India Pre P.G. counselling-2016 or thereafter and before the completion of the course he/she will have to deposit Rs. 5 Lacks to the Autonomous Society of concern College as financial penalty or else it will be recovered as land revenue arrear. Only after that original documents will be returned. In addition such admitted

candidates in Degree/ Diploma course will not be eligible for next 3 years for admission in State P.G. seats in case of Degree course and next 2 years in case of Diploma course from the date of Resignation/ Expulsion

(ii) After taking admission on the State quota allotted seat, candidate has to submit an affidavit stating that he/she will complete the course and will submit a seat leaving bond, stating that if he/she resigns from the seat or is expelled from course due to any reason after the last date of last round of M.P. State Pre P. G. counselling-2016 or thereafter and before the completion of the course he/she will have to deposit Rs. 5 Lacks to the Autonomous Society of concern College as financial penalty or else it will be recovered as land revenue arrear. Only after that original documents will be returned. In addition such admitted candidates in Degree/ Diploma course will not be eligible for next 3 years for admission in State P.G. seats in case of Degree course and next 2 years in case of Diploma course from the date of Resignation/ Expulsion

(iii) The above mentioned seat leaving bond will also be applicable on In- service candidate.

- (4) The candidate admitted on All India or State quota will have to complete the rural Service bond. The original documents will be returned only on submitting the no objection certificate from the Director Public Health and Family welfare Department. The candidate can also deposit bond amount in autonomous account of the concerned college in that case original document will be returned to the candidate.
- (5) Candidate will not be eligible for any change in the subject, course, category and college on any ground after the seat allocation or re-allotment after the last round of counselling.
- (6) The candidate who fails to take admission by the last date of admission or leave the seat before the last date after taking admission or remains absent continuously for 45 days without the permission of head of the institutions or resigns from the seat after taking admission then his/her claim on admitted seat will be forfeited and his/her allotment/admission will be treated as cancelled and the candidate will be declared not eligible to participate in the further rounds of counselling and allotment of left out seats.

- (7) Complete process of scrutiny and admission will be video graphed showing the details of complete process of scrutiny and admission. Three copies of CD of the Videography will be prepared one each will be deposited with Dean of the Concerned College, Director Medical Education and Registrar of the Concerned University. The Videography at the time of admission will be the responsibility of concerned Dean and at the time of scrutiny, the responsibility will be that of Dean, Gandhi Medical College Bhopal.
  - (8) The list of admitted candidates in Govt. Autonomous Medical/Dental Colleges will be provided to the Director Medical Education by the Dean/Principal of the concerned college after every round of counselling. This list will also be displayed on concerned College website and notice board and will also be displayed on D.M.E. website.
  - (9) A committee will be constituted under the Chairmanship of Director Medical Education for every round of counselling to supervise the counselling process. The Joint Director Medical Education will be the Coordinator and Nodal Officer, and Director Medical Education and Joint Director Medical Education will be responsible for complete counselling/admission process as per rules.
  - (10) At the time of scrutiny and admission, finger prints of all fingers of both hands of the candidates will be ensured by the Dean/Principal concerned college .
- 19 The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. The information in this regard will be available in the website of Director Medical Education and it will not be published separately. Therefore it is advised to the candidate to be in continuous contact with the Director Medical Education Website [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in).

## 20 CANCELLATION OF ADMISSION:

- (i) Cancellation of admission will mean cancellation of admission of a candidate from the State Quota Seat due to any reason when the candidate vacates his seat willingly after having taken admission in any Government Medical/Dental College and such candidates will not participate in subsequent counselling.  
It is clarified that if a candidate vacates a seat from one institution and takes admission in another institution within the state, this procedure would be termed as up- gradation/re-allotment.

- (ii) Following instructions are issued in respect of cancellation of admission in the Government Autonomous Medical/Dental Colleges:

The admitted candidate who desires to vacate his/her seat will have to submit his application complete in all respect with valid reasons to the Dean/Principal of the concerned Institution. The candidate will have to submit along with his/her application, the same photograph which was affixed during admission, copy of the allotment letter and self-attested copy of fee receipt. Applications complete as stated above will only be considered. Dean/Principal of concerned institute will, having taken a decision, convey such decision to concerned student, MCI/DCI and concerned University. In cases where condition of seat leaving bond is applicable, the seat leaving bond amount shall have to be deposited, and then only such an application for cancellation of admission will be considered. The concerned Dean/Principal after cancellation of admission will return the original documents to the concerned Student/Guardian authorized by the student.

- 21 Dean/Principal of concerned institution shall ensure submission of list regarding admitted students and students whose admission has been cancelled as below:
- (a) Dean/Principal of concerned college shall submit list of admitted students and students whose admission have been cancelled by the institution in (Annexure 04) through email and post/special messenger to Director Medical Education .
  - (b) Concerned institutions shall ensure submission of list of admitted students and students whose admission have been cancelled to the Director Medical Education through email and post/special messenger each in( Annexure 04) compulsorily.
  - (c) Concerned institutions shall ensure display of complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled for at least one complete year on institution website as per Annexure 04. The said list shall be sent through email and post/special messenger compulsorily to the following:
    - (i) Director Medical Education (dme12001@yahoo.com)
    - (ii) MP Online (ashish.singh@mponline.gov.in)
    - (iii) Concerned Institution/College
  - (d) Dean/Principal of concerned institution shall ensure submission of complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled to the Director Medical Education M.P., concerned University, MP Online, MCI/DCI through email and post/special messenger within 7 days from the last date of admission as scheduled, in Annexure(04).

- e) If the concerned institution fails to display complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled for one year continuously or if the complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled is not sent to the Director Medical Education M.P., concerned University, MP Online, MCI/DCI through email and post/special messenger from time to time as stipulated or if the institution cancels the admission of students on their own, then strong action will be taken as per rules by the Director Medical Education against the Dean/Principal of the said institutions presuming that they have intentionally and wilfully concealed the information in order to fill the vacant seats illegally.
- (f) Due to the sensitivity and importance of the admission process, students are advised to exercise due diligence before taking admission in order to avoid financial loss, as error on the part of the student may entail debarring the student from admission for a period of next three years in any Medical/Dental College.

## 22. INTERPRETATION OF RULES:

The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. In case of any dispute related to the interpretation of these rules and amendment relating to them, the decision of the State Government shall be final and binding on all concerned.

- 23 In case of any disputes the published Hindi Rules for Admission 2016 for Post graduate courses(Degree/Diploma) in Madhya Pradesh Govt. Autonomous college will be considered final.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.